BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

In the matter of

ORIGINAL APPLICATION No. 248/2022

In Re: News item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled "Digging up the Chambal"

Action taken report in compliance of the order dated 06.02.2023 Passed by the hon'ble Tribunal

1. The issue of illicit sand mining in the Dholpur district is mostly brought to light by the fact that most of the mining used to occur on the Madhya Pradesh side of the region, which could be seen frequently from the bridge on the Agra-Gwalior Highway. The Agra-Gwalior Highway is then used to transfer some of the illegally mined sand from the Madhya Pradesh side to Rajasthan. The vehicles used to transport sand illegally typically lack Vehicle Identification Numbers for which transport and police department in district Dholpur is ensuring for the previous 5-6 months that every vehicle which discovered to be without a number had that

number immediately added, along with the trolley's three sides, as part of a district-wide initiative by the transport department to allow action to be done if the vehicle was engaged in illegal mining. According to the district transport officer's report for the years 2022–2023, the Registration Numbers on 947 vehicles—of which 389 are tractor trolleys—have been added. Also, 128 cases involving errant vehicles have been registered, and a fine of Rs 24.43 lakhs has been imposed during the past four years. **(Annexure-1)**

The Dholpur Police have pursued harsh measures against those who are engaged in illicit mining. In 2022, the police have registered 137 cases against the vehicles used in illegal mining; 310 people have been detained; 11712 tonnes of illegal sand have been seized; 118 vehicles have been seized; and in 117 of these cases, chargesheets have been filed in court; more information about these cases is attached in **Annexure-2**.

Since the Honorable National Green Tribunal's directives were received on September 21,2022, a total of 111 cases have been registered, resulting in the arrest of 66 people and the seizure of 733 tonnes of Chambal sand by the police.**(Annexure-3).**List of criminals involved in illegal mining is being shared among all the states.

From September 21, 2022, the Deputy Conservator of Forest National Chambal Sanctuary, Rajasthan has registered a total of 10 cases against the vehicles used in the sand's illegal transportation.

(Annexure-4)

It is submitted that on February 6,2022, the Honorable NGT expressed displeasure over the progress of the cases involving illicit sand mining. It is requested that, inadvertently in the past, only the cases for the period of January 16, 2023, to January 30, 2023, was included in the report submitted before the Honourable NGT, which caused the progress to be on the lower side even though the actual cases for the larger period are much more numerous, as is evident from the aforementioned annexures.

2. The Honorable NGT gave the directive to form a separate special task force to stop illegal mining from the NCS. In compliance with these directives, the platoon of the 14th RAC (Rajasthan Armed Constabulary) was provided on January 30, 2023, by ADG Law and Order which is stationed at Sagarpada on the Rajasthan-Madhya Pradesh Border. Additionally, ADG Law and Order has given special permission for the deployment of an anti-dacoit force to halt illegal sand mining on need basis in special circumstances. (**Annexure-5)**

3. The District Collectors, District Superintendents of Police and officials from Forest Department, Transport Department and Mining Department of Dholpur (Rajasthan), Agra (Uttar Pradesh), and Muraina (Madhya Pradesh) held a meeting on March 17, 2023, in accordance with instructions from the Honorable NGT regarding the formation of the interstate special task force with members from all stakeholders departments. Also, on March 20, 2023, a video conference meeting of the Chief secretaries and DGPs of the States of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh was also held to discuss interstate coordination. The sharing of information and action regarding unauthorized sand mining in the NCS region now frequently involves communication between the Districts of Muraina, Agra, and Dholpur.
4. The district administration has established four interdepartmental Check Posts at the susceptible transit areas, including Sagarpada, Barentha, Housing Board, and Panchgaon, staffed round-the-clock by personnel from the mining, forest, police, and transport department. Other district police checkpoints, such as Bijoli, Sakhawara, Jatoli, AnduaPurani, GadhiJafar, Jaraga, Aangai, Aanth Meal, BasaiNawab, Jasupura, Town Chowki, SewarPali, etc., in addition to these interdepartmental checkposts, also regularly take enforcement action against unlawful Chambal Sand. **(Annexure-6)**.

All of the aforementioned four interdepartmental Chowkies are thought to require CCTV cameras in order to track and monitor the movement of people and vehicles engaged in illegal mining. In addition, long-distance cameras in the NCS area need to be installed at Jhiri and SonekaGurja, for which the NCS deputy conservator has sent a request to the chief conservator of forests Ranthambhore Tiger Reserve SawaiMadhopur Rajasthan. The use of wireless radio communication devices can be an effective way to improve communication and information access. The advanced features and benefits of these devices can help enhance the efficiency and effectiveness of operations, while also ensuring the safety and well-being of staff. The proposal for base station, repeaters and hand sets has also been sent to the higher authorities by the Deputy Conservator of Forest National Chambal Sanctuary Rajasthan and a budget for the same is expected very soon. **(Annexure -7)**

5. After receiving suggestions at an interstate meeting on March 17, 2023 based on Uttar Pradesh's experience on the Agra-Gwalior Highway, the Dholpur Transport Officer has written to the Transport Commissioner Rajasthan Jaipur requesting the establishment of two AI-enabled Check posts in the Dholpur

District, one at Sagarpada and the other at Bairetha. Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is a technology that uses AI to identify and read vehicle number plates. ANPR systems use cameras and AI algorithms to capture images of number plates, which are then processed to extract the registration number. This can be used to check if the vehicle is registered and licensed to be on the road, as well as to detect any violations such as speeding or running red lights or looking at the previous record of the vehicle. Similarly, AI can be used to detect overloading of vehicles. This can be done using weighbridges that are equipped with sensors and cameras to collect data on the weight and size of vehicles. The data is then analyzed using AI algorithms to determine if the vehicle is carrying more weight than is allowed by law. **(Annexure -8)**

6. In the Dholpur district, the Chambal River originates in Jhiri and empties into SamonaGhat. All the areas in between the routes that are susceptible to unlawful mining and where there is a plentiful supply of sand were surveyed by the drones. With drones, all interior illegal passages were found, and numerous such paths were demolished with the aid of machinery. **(Annexure-9)** Every day, drone surveys were conducted at all such locations, and two drone survey crews were stationed along this section of the river. During the drone survey, the team was instantly notified if any

indication of unlawful mining or any vehicles used in mining activities were discovered. All of the susceptible points' photos and videos were carefully stored on a pen drive and watched over by the monitoring team.**(Annexure-10)** Within the district administration, all departments, including Police, Forest, Mines, and Transport, closely cooperated and coordinated. Moreover, three boats were stationed in the Rajghat region, one of which protected the downstream side while the others covered the upstream side. **(Annexure 11)**

7. A directive prohibiting the sale of petrol and diesel to vehicles used in illegal sand mining was issued by the District Collector of Dholpur on January 13, 2023 and again on March 2, 2023 in response to the Honorable NGT's order not to sell Petrol/Diesel to vehicles involved in illegal sand mining. On 10.03.2023, a meeting with Petrol Pump Owners and Oil Marketing Companies (OMCs) was also organized, and representatives from the OMCs and Petrol Pump Owners stated that because fuel in Rajasthan is more expensive than in the nearby districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, such vehicles involved in illegal mining typically purchase fuel from these districts Agra and Muraina respectively rather than from Rajasthan. Additionally, they pointed out that while a single petrol station in the neighboring state of Uttar Pradesh sells 2000–3000 kiloliters of

petrol or diesel per day, the average consumption in the entire Dholpur district along the Agra–Gwalior Highway is 700–800 kiloliters per day, which is an obvious sign that the majority of the vehicles used in illegal sand purchases their petrol/ diesel from the nearby districts. **(Annexure 12)**. On March 24, 2023, a prohibitory order was issued by District Collector Dholpur under section 144 of the CRPC, instructing all parties not to furnish petrol or diesel in excess of the permissible container limit, to unnumbered tractors, or to vehicles used in illegal sand mining **(Annexure 13)**.

8. On the basis of the police report, an order was given to all Sub Divisional Magistrates to take decisive action against any individuals whose land had been exploited for the illegal stockpiling of sand. **(Annexure 9)**. In March 2023, 12 cases under section 177 of the Rajasthan Tenancy Act were registered in the Dholpur district, and a total of 83 tenants were issued notices of ejectment from his land holding for detrimental act or breach of condition **(Annexure 14)**
9. The Honorable NGT further gave instructions to develop alternative livelihood options that cater to the requirements and capacities of the locals who are involved in illegal mining. In compliance of this, four awareness-raising camps involving a variety of departments were organised on 22.03.2023, 24.03.2023, 27.03.202 and on

28.03.2023 in and around areas vulnerable to illegal mining in an effort to discourage it and educate the public about its negative impacts. They were also informed of the legal provisions related to the illegal sand mining. The district administration attempted to raise awareness about the alternative livelihood options in various sectors by involving departments like the District Employment Department, Animal Husbandry Department, District Industry Department, Mining Department, Forest Department, and Rajasthan Skill Development and Livelihood Corporation etc. Every participant in such camps received information on the numerous programmes run by these departments. Officials from all the departments concerned explained the plans for each department's programmes to them. In order to promote general prosperity in the district, all of these departments pushed persons who were involved in criminal activity to get interested in other forms of economic activity. Also, local public representatives participated, which improved the messaging to the community. By bringing together all these departments, the awareness generation camps provided a holistic perspective on the issue of illegal mining and helped in creating a more comprehensive and effective approach to combat it. **(Annexure-15)** Additionally, in order to improve the lives of those who live near the river bank, a total of 1,16,426 men days

of employment were created in previous years under the MNREGA Plan in the villages of Samona, Jaitpur, Andwapuraini, Bhurakheda, Basaineem, Beechiya, Moroli, Basaidang, Kasbanagar, Sewarpali, and Jhiri**(Annexure-16)**.

Livestock schemes are being encouraged in areas susceptible to illegal mining. By promoting livestock schemes, local communities may have the opportunity to generate income through sustainable and legal agricultural practices, reducing the need to engage in illegal mining activities. Particularly attractive industries for this region are goat, poultry, fish, and backyard farming, for which interest subsidy programmes and cheap finance are available.

Providing support for small businesses can help locals generate income through legal means. This can include providing training, mentorship, and access to microfinance. Mukhymantri Laghu Udyog Protsahan Yojana, DrBheem Rao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadiwasi Udhyam Protsahan Yojnaare relevant Government schemes which are widely publicized in the areas affected by the illegal mining.

Developing ecotourism can be a way to generate income for locals while also promoting environmental conservation. This can include activities such as bird watching, nature walks, and cultural tours. Recently, a Rs 3 crore ecotourism initiative for the Chambal river at

Dholpur is under progress. Given its proximity to Agra, a year-round tourist destination, Dholpur could develop into another popular holiday spot. Tourists may be drawn to the Chambal River Safari and ravines. Ecotourism can have a positive impact on local communities and the environment. The Chambal river and ravines are unique natural attractions that can offer visitors a chance to experience wildlife and landscapes that they may not have seen before. Developing Dholpur as a tourist destination could also provide economic opportunities for the region, creating jobs and generating income for local businesses. In the project we will involve the local community in decision-making and ensure that they benefit from the economic opportunities created by tourism. **(Annexure-17)**

10. In compliance with the Honorable NGT's order to give mass attention to the action taken on illegal mining, a comprehensive publicity campaign highlighting the detrimental effects of sand mining and action taken on sand mining is being presented in newspapers and electronic media. **(Annexure-18)**
11. Honorable NGT has directed to explore the options of alternative sand than Chambal Sand. It is submitted that232.92 Ha and 391.75 Ha of land in the Dholpur District, beneath the Parvati River, have been selected as alternatives to Chambal Sand. After receiving the

necessary State Pollution Control Board clearance, which is anticipated to occur very shortly, these locations will begin operations. **(Annexure 19)**

12. Information about everyone who has a license to carry a weapon and is also involved in illegal mining is being compiled so that their license. may be canceled after following the due legal procedures. **(Annexure 20)**

13. The police, the forest , the mining, and the transport departments are currently keeping a close eye on any unlawful sand mining activities. As a result of their continued efforts, no such illicit mining is currently visible in our region.

Mukesh Chandra Mangal
Mining Engineer
Dholpur

Anil Kumar Yadav
Deputy Conservator of Forest
NCS Sawai Madhopur

Vijay Kumar Meena
District Transport Officer
Dholpur

Kishore Gupta
Deputy Conservator of Forest
Dholpur

Manoj Kumar
District Superintendent of Police
Dholpur

Anil Kumar Agrawal
District Collector
Dholpur

Annexure-1

कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, धौलपुर(राज.)

क्रमांक :– 5277

Annexure -1

दिनांक :– 26/3/23

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
धौलपुर

विषय :– अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 के संबंध मे की गई कार्यवाही सूचना।

प्रसंग:– श्रीमान आपका पत्रांक प.40/10(1)/एनजीटी–248/राजस्व/2023/950–956 दिनांक 24.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 26.03.2023 तक की गई कार्यवाही की चाही गई सूचना वर्षवार निम्नानुसार है :–

जिला	वर्ष	अवैध बजरी मे बनाये गये चालानो की संख्या	जप्त वाहनो की संख्या	न्यायालय मे भेजे गये चालानो की संख्या	प्राप्त जुर्माना राशि	निलम्बित/निरस्त किये गये			वि. वि.
						पंजीयन प्रमाण पत्र	चालन अनुज्ञप्ति	परमिट	
धौलपुर	2019–2020	41	41	0	9.66 लाख	41	41	16	
	2020–2021	28	28	2	6.47 लाख	26	26	9	
	2021–2022	17	17	0	3.02 लाख	17	17	5	
	2022–2023 (26 मार्च 2023 तक)	42	42	1	5.28 लाख	41	41	14	

1. अवैध रूप से संचालित बिना नम्बर/बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहनो के विरूद्व इस वर्ष 2022–2023 (26 मार्च 2023 तक) समझाईश अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक तक 947 वाहनो पर नम्बर लिखवाये जा चुके है। जिनमे 389 ट्रैक्टर–ट्रॉली सम्मिलित है जिन पर ट्रैक्टर के साथ–साथ ट्रॉली के तीनो ओर नम्बर लिखवाये गये है। जिससे अगर ये वाहन अवैध रेता निर्गमन मे लिप्त पाये जाते है तो उन पर आसानी से कार्यवाही की जा सके।
2. अवैध रूप से संचालित बिना नम्बर/बिना नम्बर प्लेट के संचालित वाहनो के विरूद्व इस वर्ष 2022–2023 (26 मार्च 2023 तक) कुल 109 चालान बिना नंबर एवं बिना नंबर प्लेट के अपराध में बनाये जा चुके है।

सूचना श्रीमान जी की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(विजय कुमार मीना)
जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

क्रमांक :– 5276-79

दिनांक :– 26/3/23

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर।
2. श्रीमान खनि अभियंता, धौलपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

RJ.11
RB.
की जय

Annexure-2

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर राजस्थान

क्रमांक – 2413–14

दिनांक 28.03.2023

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
जिला धौलपुर।

विषय – अवैध बजरी खनन के संबंध में सुचना भिजवाने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी की होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध चम्बल बजरी रेता को रोकने के लिये किये गये कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 तक निम्न प्रकार है –

धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध बजरी चम्बल के निर्गमन/खनन को रोकने हेतु लगातार प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है जो कि संलग्न प्रारूप में प्रदर्शित है।

अवैध बजरी खनन वर्ष जन. 2022 से 31.12.2022 तक

नाम जिला	अवधि	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त बजरी (टन में)	जब्त वाहन	न्यायालय में चालान	एफआर	पुलिस स्तर पर पैण्डिग	जुर्माना
धौलपुर	जन 2022	17	28	295	19	17	0	0	0
	फर 2022	11	18	129	11	11	0	0	0
	मार्च 2022	6	7	310	6	6	0	0	0
	अप्रेल 2022	5	7	151	5	5	0	0	0
	मई 2022	11	17	125	11	11	0	0	0
	जून 2022	7	9	233	7	6	0	01	0
	जुलाई 2022	14	37	5737	9	11	00	03	0
	अगस्त 2022	20	31	3611	8	14	0	06	0
	सितम्बर 2022	7	11	274	4	3	0	04	0
	अक्टूबर 2022	12	15	210	14	9	00	3	0
	नवम्बर 2022	14	03	441	14	12	00	2	0
	दिसम्बर 2022	13	127	96	10	14	00	2	0
	योग	137	310	11712	118	117+3 पूर्व के पैण्डिग प्रकरणों का चालान किया गया।	0	17	0

जिला पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर।

प्रतिलिपिः– 1 खनि अभियन्ता ,धौलपुर।

जिला पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर।

Annexure-3

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर राजस्थान

क्रमांक – 2417–18 दिनांक. 27.03.2023

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
जिला धौलपुर।

विषय – अवैध बजरी खनन के संबंध में सुचना भिजवाने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी की होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध चम्बल बजरी रेता को रोकने के लिये किये गये कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 तक निम्न प्रकार है –

अवैध बजरी खनन वर्ष दि0 21.09.2022 से 27.03.2023 तक

नाम जिला	अवधि	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त बजरी (टन में)	जब्त वाहन
धौलपुर	दि0 21.09.2022 से 27.03.2023 तक	111	66	733	132

(हस्ताक्षर)

जिला पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर।

Annexure-4

Action taken on Illegal Sand Since 21.09.2022 by DCF NCS Rajasthan

District	Duration	Cases	Seized Sand (Tons)	Vehicle seized	Chargesheet in Court	Pending	Fine Imposed
Dholpur	21.09.2022-28.03.2023	10	21	10	0	8	102000

Deputy Conservator of Forest
National Chambal Sanctuary
Sawai Madhopur, Rajasthan

Annexure-5

अ.
प्रति.पु.अ.
अति. प्रशा. अधि.
सहा. प्रशा.
संस्था
निरीक्षक

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः-प-15( )कानून-व्यवस्था/2022/14-1 दिनांकः-31.01.2023

महानिरीक्षक पुलिस,
रेंज भरतपुर।

विषयः-माननीय न्यायालय एनजीटी प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए.248/2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये गये निर्देशो/ अभिशंषाओं की क्रियान्विति हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः-आपका कार्यालय पत्रांक 131-32 दिनांक 24.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि माननीय न्यायालय एनजीटी प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की क्रियान्विति तथा धौलपुर में अवैध खनन/बजरी के निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु 14 वी बटा0 आरएसी की एक प्लाटून पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर को उपलब्ध कराई जाती है तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर ए0डी0एफ0 ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराई गई छठी बटा0 आरएसी की कम्पनी को उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने अनुमति प्रदान की जाती है।

D. Dholpur (city)

(डॉ. हवासिंह घुमरिया)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन,कानून-व्यवस्था,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1-अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटा0, राज0 जयपुर।
2-पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर।
3-संयुक्त शासन सचिव,गृह(ग्रुप-5), राजस्थान जयपुर।
4-कमाण्डेन्ट, छठी बटा0 आरएसी धौलपुर।
5-कमाण्डेन्ट, 14वीं बटा0 आरएसी पहाड़ी भरतपुर को भिजवाकर लेख है कि आपकी बटा0 से एक प्लाटून पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर को अविलम्ब उपलब्ध कराये।

1/23

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,

Annexure-6

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर राजस्थान

क्रमांक – 2419–20

दिनांक 28.03.2023

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
जिला धौलपुर।

विषय – अवैध बजरी खनन के संबंध में सुचना भिजवाने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी की होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध चम्बल बजरी रेता को रोकने के लिये किये गये कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 तक बिन्दुवार निम्न प्रकार है –

1. अवैध बजरी चम्बल के निर्गमन/खनन को रोकने हेतु निम्नलिखित स्थलों पर वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, की अर्न्तविभागीय संयुक्त चौकियाँ स्थापित की गई है।

   1. सागरपाडा
   2. बरैठा
   3. पचगॉव
   4. हाउसिंग बोर्ड

   अवैध बजरी चम्बल के निर्गमन /खनन को रोकने हेतु पुलिस की निम्न चौकियां भी स्थापित है जो लगातार प्रभावी कार्यवाहियॉं कर रही है।

   1. पुलिस चौकी जपावली
   2. पुलिस चौकी बसईनवाव
   3. पुलिस चौकी सखवारा
   4. पुलिस चौकी जसुपरा
   5. पुलिस चौकी टाउनचौकी राजाखेडा
   6. पुलिस चौकी हाटमैदान राजाखेडा
   7. पुलिस चौकी गढी जाफर
   8. पुलिस चौकी अण्डवा पुरैनी
   9. पुलिस चौकी बाबू महाराज
   10. पुलिस चौकी सेवर पाली
   11. पुलिस चौकी झिरी
   12. पुलिस चौकी जारगा
   13. पुलिस चौकी जाटोली
   14. पुलिस चौकी बिजौली
   15. पुलिस चौकी आगई
   16. पुलिस चौकी आठमील
   17. पुलिस चौकी भैसेना

2. अवैध बजरी चम्बल के निर्गमन/खनन को रोकने हेतु एडीजी कानून व्यवस्था राजस्थान द्वारा 14 वी आरएसी पहाडी की एक प्लाटून उपलब्ध करवाई गई है। जिसे राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा पर समर्पित रूप से स्थापित किया गया है। यह प्लाटून प्रभावी ढंग कार्य कर रही है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था राजस्थान द्वारा छटवी आरएसी धौलपुर की एडीएफ कम्पनी को भी अवैध बजरी चम्बल के निर्गमन /खनन को रोकने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

28/3/23
जिला पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर।

प्रतिलिपिः– 1 खनि अभियन्ता ,धौलपुर।

जिला पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर।

Annexure-7

संशोधित पत्र -2

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य सवाई माधोपुर

आलनपुर नर्सरी के पास, सवाई माधोपुर पिन कोड :-322001 E mail- dcfwlghariyalswm@gmail.com

क्रमांक एफ () उवसं /राचघअ/सर्वे/ 2022-23/ 5635 दिनांक 27.01.2023

निमित्त

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर टाइगर रिज़र्व
सवाई माधोपुर

विषय :-हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.032022 में प्रकाशित शीर्षक "Digging up the Chambal" के आधार पर माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली में - प्रकरण क्रमांक ओ०ए० 248/2022 तक की गई कार्यवाही का विवरण भिजवाने बावत ।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक एफ () उवसं /राचघअ/सर्वे/ 2022-23/ 5634 दिनांक 27.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.032022 में प्रकाशित शीर्षक "Digging up the Chambal" के आधार पर माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली में - प्रकरण क्रमांक ओ०ए० 248/2022 दर्ज हुआ है। हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित समाचार "Digging of Chambal पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने बावत माननीय न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली ने O. A. No. 248/2022 मैं दिनांक 05.04.2022 को आदेश जारी कर एक कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा दिनांक 17.05.2022 को अधिशाषी अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ग्वालियर, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में प्रथम बैठक का आयोजन वन विभाग के कार्यालय मुरैना, मध्यपदेश में किया गया एवं गठित कमेटी द्वारा चम्बल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के आधार पर गठित कमेटी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्लान तैयार कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट माननीय न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली में दिनांक 14.07.2022 को पेश की गई। माननीय न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा सुनवाई दिनांक 21.09.2022 को गठित कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों (सिफारिस) की पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये है। गठित कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों (सिफारिसे) की पालना सुनिश्चित कराने के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गठित कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों (सिफारिसें) पर चर्चा की गई एवं पालना हेतु निर्णय लिया जाकर संबंधित विभागों को निर्देश दिये गये है। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण खनि अभियंता धौलपुर के पत्र क्रमांक एनजीटी / 248/2022 / खनि / 2022/233 दिनांक 19.10.2022 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। माननीय न्यायालय एनजीटी ने 5.4.2022 को आदेश पारित कर एक कमेटी का गठन किया है जिसमें दिया गया सुझाव "Equipping forest forces with latest weapons in increasing their numbers with boat patrolling and drone survey facilities" इस हेतु पर्याप्त बजट एवम् स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से अपेक्षित है ।

माननीय न्यायालय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा OA संख्या 248 / 2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये गये निर्देशों के कम में दिनांक 13.01.2023 को श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर के कक्ष में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खान एवं पेट्रोलियम विभाग राज जयपुर की विशेष उपस्थिति में वैठक आयोजित की गई। बैठक में चम्बल नदी में हो रहे खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन /भण्डारण के विरूद्ध प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांक 16.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने एवं सागरपाडा चैक पोष्ट पर सभी सम्बंधित विभाग 24X7 स्टाफ / कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर तैनात करने के निर्देश दिये गये। उक्त दिए गए निर्देशानुसार इस कार्यालय के 20 कार्मिकों को धौलपुर जिले में अवैध बजरी निकासी की रोकथाम हेतु 24 x 7 ड्यूटी लगाई गई। बैठक में दिये गये निर्देशानुसार धौलपुर जिले में चम्बल नदी के अन्तर्गत सम्भावित अवैध खनन स्थलों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध बजरी खनन बन्द पाया गया एवं कोई वाहन / मशीनरी / मजदूर चम्बल बजरी के खनन / निर्गमन में लिप्त नही पाया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय अधीन राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण सवाई माधोपुर के क्षेत्र में कुछ छुटपुट खनन को छोड़कर अधिकतर खनन मध्यप्रदेश की सीमा में होता है जो कि आगरा ग्वालियर हाईवे पर बने पुल से किसी भी समय देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की सीमा में दिन दहाड़े सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर बजरी खनन करते हैं और उनमें से कुछ ट्रैक्टर/ ट्रक राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं जहां से बजरी भरतपुर और आगरा तक जाती है । सभी विभागों की सयुंत कार्यवाही से वर्तमान में कोई भी ट्रैक्टर/ट्रक राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा है । चंबल नदी के अन्य स्थानों पर अवैध बजरी निकासी रोकने के लिए इस कार्यालय स्स्तर पर उपल्ब्ध समस्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाकर चंबल नदी से अवैध बजरी निकासी की रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें समय-समय पर खनिज और पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाता है ।

अवैध बजरी खनन रोकने हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है :

क्रम सं	प्रस्तावित कार्य	विशेष विवरण	अनुमानित लागत
1.	फारेस्ट चोकी 8 Nos	भगत का पुरा-झिरी, सेवर पाली -झिरी , नगर घाट -झिरी, मोरोली घाट -सागर पाडा, भामोली घाट, शंकरपुरा, अंडवापुरानी, गडी टीरावली	60 लाख
2.	2 चौपहिया वाहन, 1 जे सी बी , 1 टैक्टर मय ट्राली , 3 स्पीड बोट धौलपुर क्षेत्र के लिए	पेट्रोलिंग के लिए	100 लाख
3.	सभी वन कर्मियों को हथियार उपल्ब्ध कराए जाए और 30 आरएसी/ बोर्डर होम गार्ड के जवान लगाये जाये ।	सभी प्रस्तावित नयी चोकियों पर पर्याप्त स्टाफ होने से ही अवैध खनन रुक सकता है	100 लाख प्रति वर्ष
4.	एक वायरलेस सिस्टम और बजरी खनन कंट्रोल रूम की स्थापना होनी चाहिए	अवैध बजरी को रोकने के लिए सभी विभागों यथा पुलिस, खनन, राजस्व, वन इत्यादि के सभी अधिकारी समन्वय स्थापित करने पर ही कार्यवाही संभव है रिपीटर स्टेशन 5.5 लाख फिक्स्ड स्टेशन 6.5 लाख हैंड सेट 5.0 लाख इंस्टालेशन 0.50 लाख व्हीकल maunted 1.50 लाख Antena 1.00 लाख	20 लाख

भवदीय

Anil Kumar Yadav

Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Date: 2023.01.27 17:24:29 +05'30'

उप वन संरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य
सवाई माधोपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य सवाई माधोपुर

आलनपुर नर्सरी के पास, सवाई माधोपुर पिन कोड :-322001 E mail- dcfwlghariyalswm@gmail.com

क्रमांक एफ () उवसं /राचघअ/सर्वे/ 2022-23/ स्प धोलपुर -7 दिनांक 28.03.2023

निमित्त

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर टाइगर रिज़र्व
सवाई माधोपुर

विषय :- Request to set up long Distance Camera in NCS Dholpur region

महोदय,

माननीय एन जी टी ने चम्बल नदी में अवैध खनन रोकने के लिए अपने आदेश दिनांक 06.02.2023 में CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं जिसके क्रम में राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक दिनांक 10.03.2023 अनुसार चम्बल नदी में लम्बी रेंज के कैमरा लगाने के लिए जगह चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया है , इस क्रम में निवेदन है कि एन सी एस के झिरी और सोने के गुर्जा क्षेत्र में रणथम्भौर की तर्ज पर लम्बी रेंज के कैमरा लगाने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपवनसंरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य
सवाई माधोपुर

Annexure-8

कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, धौलपुर(राज.)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक 5208 दिनांक :- 21/03/23

श्रीमान परिवहन आयुक्त महोदय,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
जयपुर

विषय :- Smart AI Check-gates के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय एनजीटी, नई दिल्ली ने प्रार्थना पत्र संख्या ओ.ए. 248/2022 मे अपने आदेश दिनांक 21.09.2022 व 06.02.2023 के द्वारा राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश राज्यों को चम्बल नदी में रेता निर्गमन में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है, इसी क्रम मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर द्वारा दिनांक 21.03.2023 को प्रातः 10.00 बजे सम्बन्धित अधिकारियो की बैठक ली गई। जिसमे श्रीमान जी के द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अवैध बजरी के निर्गमन के प्रभावी रोकथाम हेतु भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिले मे 100 Smart AI Check-gates निर्माणाधीन है जिनका इस वर्ष के माह अक्टूबर 2023 के अन्त तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।

इसी सम्बन्ध मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवैध बजरी की रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु इस प्रकार के चैक गेट्स विभागीय स्तर से लगाने के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है आप इस सम्बन्ध मे मार्गदर्शन प्रदान करवाने की कृपा करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सादर ।

(विजय कुमार मीना)
जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

क्रमांक :- 5209 दिनांक :- 21/03/23
प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।

जिला परिवहन अधिकारी
धौलपुर

Annexure-9

Pic- Interior illegal passages destroyed

Annexure-10

Pic. Drone Survey in NCS area. Photographs/Videos are in Pen Drive

Annexure-11

Boat Patrolling

Joint Inspection by Interdepartmental Team

Latitude: 26.670316
Longitude: 77.977607
Elevation: 128.96±18 m
Accuracy: 6.9 m
Time: 03-22-2023 15:01
Note: chambal dholpur
Powered by NoteCam

Latitude: 26.843229
Longitude: 78.189969
Elevation: 172.44±4 m
Accuracy: 1.4 m
Time: 20-03-2023 19:12
Note: samona 4
Powered by NoteCam

RTO
RJ11 UA 0068

Annexure-12

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांकः– न्याय/2023/260 दिनांकः– 13-01-2023

विक्रय अधिकारी,

आई.ओ.सी.एल./एच.पी.सी.एल./रिलायन्स/बी.पी.सी.एल.

जिला धौलपुर

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, प्रमुख बैन्च नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 248/2022 दिनांक 21.09.22 को सुनवाई के दौरान चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश दिये गये है। (एनजीटी के उक्त आदेश की प्रति संलग्न है)

अतः उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन निकटवर्ती पैट्रोल पम्पों (संलग्न सूची अनुसार) पर निम्नलिखित बिन्दुओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावें तथा संबंधित पैट्रोल पम्प संचालकों को अपने स्तर से निर्देश जारी करें:–

1. चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल दिए जाने से पूर्व उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन चालक का नाम, पता व लाईसेंस नम्बर आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
2. ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल/पैट्रोल कंटेनर में नहीं दिया जावे तथा कंटेनर में दिए जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, नाम व पता आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
3. पैट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाना सुनिश्चित करें तथा सीसीटीवी कैमरे खराब होने की स्थिति में उन्हें तुरन्त सही कराया जावे।
4. संदिग्ध/अवैध खनन में लिप्त वाहनों/वाहन चालको की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने/जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावे।
5. रेता/बजरी के ऐसे वाहन जिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है, उनको किसी भी परिस्थिति में डीजल/पैट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
6. पैट्रोल पम्प संचालक संबंधित उपखण्डाधिकारी/जिला रसद अधिकारी/थानाधिकारी को निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग व आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध करावें।

2519 संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
16/1/23

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

क्रमांकः– न्याय/2023/262-272 दिनांकः– 13-01-2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खनिज एवं पैट्रोलियम विभाग जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर
3. शासन सचिव महोदय, गृह विभाग जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक :– एनजीटी / 248 / 2022 / खनि / 2023 / 1072 दिनांक : 02/03/2023

विक्रय अधिकारी, आई.ओ.सी.एल. / एच.पी.सी.एल. / रिलायन्स / बी.पी.सी.एल.
जिला धौलपुर

विषय :– माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248 / 2022 में दिनांक 06.02.2023 को दिये गये निर्देशों की क्रियान्विति के क्रम में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक, न्याय / 2023 / 260 दिनांक 13.01.2023 एवं कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, धौलपुर का पत्रांक एनजीटी / 248 / 2022 / खनि / 2022 / 224 दिनांक 28.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक "Digging up the Chambal" के आधार पर माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली में प्रकरण क्रमांक ओ0ए0 248 / 2022 दर्ज हुआ है। माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.09.2022 को सुनवाई के दौरान चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता / बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल / पैट्रोल नही दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच [illegible]ल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.02.2023 को सुनवाई के दौरान चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता / बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल / पैट्रोल नही दिये जाने हेतु पुनः निर्देश दिये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से दिये गये निर्देशों की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी / रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

संलग्न :– उक्तानुसार

जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

क्रमांक :– एनजीटी / 248 / 2022 / खनि / 2023 / 1073 दिनांक : 02/03/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर
3. [illegible]सन सचिव, गृह विभाग, जयपुर
4. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करे।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर / उप वन संरक्षक(वन्यजीव) सवाईमाधोपुर
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर
10. खनि अभियन्ता धौलपुर
11. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
12. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर
13. जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधितों को अपने स्तर से पावन्द कर पालना सुनिश्चित करावें।
14. संबंधित पैट्रोल पम्प संचालक (संलग्न सूची अनुसार) तामील जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर

जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

Scanned with CamScanner

परि०-8

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक/खनन/एनजीटी/रसद/2022/1206 दिनांकः 14.3.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय एनजीटी प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 एवं 06.02.2023 को दिये गये निर्देशों की पालना में दिनांक 10.03.2023 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में रसद विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग, ऑयल कम्पनीज एवं स्थानीय प्रशासन की जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल नहीं दिये जाने की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित अधिकारियों एवं ऑयल कम्पनीज संचालकों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. सचिव पैट्रोल पम्प संघ, धौलपुर द्वारा बताया गया कि बजरी वाहनों/बिना नंबर वाले वाहनों को डीजल पैट्रोल देने से मना करने पर उनके उपर लाठी, डण्डों, पत्थरों एवं अवैध घातक हथियारों से हमला किया जा सकता है। बजरी के ट्रैक्टरो पर अवैध नंबर भी होते है। अतः पैट्रोल पम्पों पर सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार रखे गये और बताया कि जिले की नजदीकी सीमा एम.पी. व यू.पी. मे डीजल/पैट्रोल के दामों मे कमी होने के कारण ज्यादातर वाहन डीजल/पैट्रोल वहीं से लेते हैं।
2. विक्रय अधिकारी आईओसीएल द्वारा बताया गया कि पैट्रोल पम्पों पर 99 प्रतिशत खाली ट्रेक्टर/ट्रोली डीजल डलवाने आते हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह वाहन किस प्रकार के कार्य में कार्यरत है एवं ज्यादातर अवैध बजरी वाहन यू.पी. एवं एम.पी. से डीजल लाते हैं।
3. विक्रय अधिकारी एचपीसीएल द्वारा बताया कि जिले में लगभग 2700 किलो लीटर डीजल एक माह में पैट्रोल पम्पों द्वारा विक्रय किया जाता है जबकि यू.पी. के एक अकेले पैट्रोल पम्प की विक्री लगभग 2000–3000 किलो लीटर है। नेशनल हाईवे संख्या–03 पर जिले की सीमा में लगभग 23 पैट्रोल पम्प हैं, जिनसे कुल डीजल की एक माह में विक्री लगभग 700–800 किलो लीटर है। सीमावर्ती राज्यों में कीमत कम होने के कारण ज्यादातर बजरी वाहन धौलपुर जिले से डीजल/पैट्रोल नहीं भरवाते हैं। इसके संबंध में विक्रय अधिकारी ऑयल कम्पनीज समस्त धौलपुर/धौलपुर पैट्रोलियम डीलर्स एसोशिएशन द्वारा गय डाटा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आश्वस्त किया गया जो 3 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. निरीक्षक पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि बिना नंबर वाले अवैध बजरी वाहनों को तत्काल पकडने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया जावे। पुलिस की पी.सी.आर. गाडी, पुलिस जवान एवं आरएसी के जवान 24 घण्टे अवैध वाहनों पर कार्यवाही करने हेतु तैयार रहते है। इस कार्य हेतु पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9530411842 एवं कंट्रोल इचार्ज का नंबर 9785312531 है।
5. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि ओवरलोड एवं अवैध खनन वाहनों को पैट्रोल/डीजल विक्रेता तेल उपलब्ध नहीं करावें तथा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों को नंबर लिखवाने हेतु प्रेरित किया जावे। पैट्रोल पम्पों पर आवश्यकता ... पुलिस ... कंट्रोल

Signature valid
Digitally signed by ... Sharma
Designation : ... Enforcement Inspector
Date: 2023.03. ... 7:59:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3375203

12

रूम के नंबर चस्पा कराये जावें एवं अवैध खनन में लिप्त संदिग्ध वाहनों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को तुरंत सूचित किया जावें। पैट्रोल पम्प संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रशासन के पूर्ण सहयोग के लिये आश्वस्त किया गया। माननीय एनजीटी प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली के निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में उ0प्र0 एवं म0प्र0 के अधिकारियों को पत्र लिखे जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

सभी सम्बन्धित विभाग/संस्थान उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का श्रम करें।

(गजेन्द्र बाबू शर्मा)
जिला रसद अधिकारी
धौलपुर

क्रमांक/खनन/एनजीटी/2022/1207-20 दिनांक: 14.3.2023

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान शासन सचिव ग्रह विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।
6. श्रीमान उप–वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, धौलपुर/वन्य जीव/चम्बल सेंचुरी, सवाई माधोपुर।
7. जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर।
8. खनिज अभियंता, धौलपुर।
9. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल कम्पनीज राजस्थान, जयपुर।
10. विक्रय अधिकारी समस्त ऑयल कम्पनीज जिला, धौलपुर।
11. सम्बन्धित पैट्रोल पम्प संचालक, धौलपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
धौलपुर

Signature valid
Digitally signed by G[illegible]ndra Babu Sharma
Designation: [illegible]ement Inspector
Date: 2023.03.[illegible] [illegible]7:59:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3375203

To,
District Supply Officer
Dist- Dholpur , Rajasthan

Dear Sir,

HSD RSP for Rajasthan (Dist-Dholpur) and adjoining state Retail Outlets is given below.

State	Product	RSP
Rajasthan(Dholpur)	HSD	94.12
UP(Agra)	HSD	89.66
MP(Gwalior)	HSD	93.78

Above RSP may vary from RO to RO based on transportation.

Jogendra Singh

AM (RS), Dholpur RSA

Welcomes You
M/S R B FILLING CENTER
MORENA M.P

Tel. No.: 9425176858

Receipt No.: 65135
FCC ID: 0000003032804257
FIP No. : 02
Nozzle No. : 02
Product : Diesel
Density : 700.0Kg/Cu.mtr
Preset Type: Amount
Rate(Rs/L) : 093.78
Volume(L) : 00015.99
Amount(Rs) : 01500.00
Atot: 00135432642.77
Vtot: 00001474761.97

Vehicle No: Not Entered
Mobile No : Not Entered

Date : 28/03/23 Time: 16:23

CST No :
LST No :
VAT No :
ATTENDANT ID : Not Available
FCC DATE : Not Available
FCC TIME : Not Available

You! Please Visit Again..

इंडियनऑयल

IndianOil

Welcomes You

MODI BROTHERS
DHOLPUR
PIN C. 328001
Tel. No.: 9414026818

Receipt No.: C2287
FCC ID: 301011579
FIP No. : 04
Nozzle No. : 04
Product : Diesel

Preset Type: Volume
Rate : 094.12
Volume : 00050.00
Amount : 04706.00

Vehicle No: Not Entered
Mobile No : Not Entered

Date : 28/03/23 Time: 15:46

CST No :
LST No :
VAT No :
ATTENDANT ID : Not Available
FCC DATE : Not Available
FCC TIME : Not Available

Thank You! Please Visit Again..

IndianOil

Welcomes You

AGRA (UP)

Tel. No.: 9557959004

Receipt No.: C2528
FCC ID: 301058378
FIP No. : 01
Nozzle No. : 01
Product : Diesel
Density : 836.0Kg/Cu.mtr
Preset Type: Amount
Rate : 089.66
Volume : 00013.38
Amount : 01200.00

Vehicle No.: Not Entrd
Mobile No : Not Entrd

Date : 28/03/23 Time: 15:59

CST No :
LST No :
VAT No :

Thank You! Please Visit Again..

Annexure-13

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांक: एफ.17(04)/न्याय/का.व्य./2023/1964 दिनांक: 24/03/2023

आदेश

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

यतः मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि जिला धौलपुर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित कराये वाहनों द्वारा चम्बल नदी से अवैध बजरी खनन व परिवहन में लिप्त होने की संभावना है, जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है एवं बिना नम्बर के वाहन से कभी भी आपराधिक घटना की जा सकती है, बिना नम्बर प्लेट के वाहन होने के कारण उन्हें चिन्हित करने में भी कठिनाई होती है, जिस कारण आमजन मे रोष व्याप्त होकर कानून–व्यवस्था के प्रतिकूल व्यवस्थायें निर्मित होती हैं।

माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 248/2022 में चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन/परिवहन मे प्रयुक्त वाहनों को डीजल /पेट्रोल नहीं दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं दिये जाने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मेरा समाधान हो गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के उपरोक्त अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम किया जाना धौलपुर जिले में शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अति आवश्यक है।

अतः मैं, अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश देता हूं कि :–

1. चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बरी वाहनों ट्रेक्टर/ट्रकों इत्यादि को डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति नही की जायेगी।
2. ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल/पैट्रोल कंटेनर में नहीं दिया जावेगा ।

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में होकर विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना करवाया जाना संभव नही है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण को धौलपुर जिले के मुख्य–मुख्य स्थानों यथा उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय इत्यादि पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, समस्त वृत्ताधिकारी पुलिस, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटो, जिला रसद अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिले के समस्त थानाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2023 से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट,

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.03.24 ...27:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3485532

क्रमांक: एफ.17(04)/न्याय/का.व्य./2023/1965 – 1990 दिनांक: 24-03-2023

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर
02. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग जयपुर
04. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
06. महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर
07. जिला मजिस्ट्रेट (समस्त) राजस्थान
08. पुलिस अधीक्षक (समस्त) राजस्थान
09. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर

प्रतिलिपि:– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. पुलिस अधीक्षक धौलपुर।
02. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/एनसीएस धौलपुर
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर।
04. उपखण्ड मजिस्ट्रेट.(समस्त) जिला धौलपुर को अधिकारिता क्षेत्र में पालना कराये जाने हेतु।
05. उप अधीक्षक पुलिस, (समस्त) जिला धौलपुर को अधिकारिता क्षेत्र में पालना कराये जाने हेतु।
06. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग कोटा
07. अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर/खनि अभियंता धौलपुर
08. जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर
09. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल कम्पनी राजस्थान जयपुर
10. जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि जिले में संचालित पेट्रोलपम्प मालिकों को अपने स्तर से पाबंद कर पालना सुनिश्चित करावें।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाड़ी/बसेड़ी/सरमथुरा/धौलपुर/सैंपऊ/राजाखेडा
12. आयुक्त नगर परिषद धौलपुर, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजाखेडा, बाड़ी, सरमथुरा, बसेडी।
13. तहसीलदार, धौलपुर/,राजाखेडा/बाडी/सरमथुरा/सैंपऊ/बसेड़ी/मंनिया।
14. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि इस आदेश का प्रेस नोट जारी कर स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण को अवगत करावें।
15. थानाधिकारी पुलिस थाना (समस्त) जिला धौलपुर।
16. नोटिस बोर्ड उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगरपरिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत/पुलिस थाना।
17. रक्षित पत्रावली।

जिला मजिस्ट्रेट

Signature valid
Digitally signed by A... Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.03.2... :27:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3485532

Annexure-14

कार्यालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

क्रमांकः एनजीटी/248/सामान्य/2022/478 दिनांकः 4 03.2023

1. समस्त उपखण्डाधिकारी जिला धौलपुर
2. समस्त तहसीलदार जिला धौलपुर

विषयः– माननीय एनजीटी नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए:248/2022 में प्रदत्त निर्देशों की पालना के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए: 248/2022 दिनांक 21.09.2022 व 06 फरवरी 2023 में निर्देश प्रदत्त किये गये हैं कि जिले में जो भूमि चम्बल नदी के अवैध रूप से रेता (बजरी) खनन कर संग्रहण करने के उपयोग में आ रही है, ऐसे भूस्वामियों के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावे ।

अतः निर्देशों की पालना में अविलम्ब कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

क्रमांकः एनजीटी/248/सामान्य/2022/478 दिनांकः 4 03.2023

प्रतिलिपिः--

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर/उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्यजीव)सवाईमाधोपुर/खनिज अभियंता, धौलपुर को भेजकर लेख है कि अवैध रेता (बजरी) के संग्रहण हेतु प्रयुक्त कृषि भूमि का विवरण संबंधित राजस्व अधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके ।

जिला कलक्टर

प्रपत्र

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम/लोकेशन का विवरण	अवैध रेता (बजरी) संग्रण हेतु प्रयुक्त खसरा नम्बर	की गयी कार्यवाही का विवरण

कार्यालय उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा

दिनांकः— 27.03.2023

क्रमांक/राजस्व/2023/461
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
धौलपुर

विषयः— माननीय एनजीटी नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए 248/2022 में आदेश दिनांक 21.09.2022 व दिनांक 06.02.2023 की पालना में दिनांक 27.03.2023 को आयोजित बैठक के संबंध में सूचना भिजवाने बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान जी द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रपत्र मे तैयार कर निम्नानुसार सादर प्रेषित है:—

Illegal Sand Dumping Cases in Dholpur District

Sub disivision	RTA 177 cases		LRA 91 cases	
	No. of cases	Total Area of land involved in such cases	No. of cases	Total Area of land involved in such cases
Rajakhera	08	0.2148 he.	10	0.2653 he.

36 खातेदारों के विरुद्ध

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा

Signature valid
Digitally signed by Dev Singh
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2023.03.27 1[illegible]:42:47 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

क्रमांकः– विविध / अवैध खनन / 2023 / 880 दिनांकः– 27/3/23

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
धौलपुर

विषयः– मा0 एनजीटी के निर्देशों की पालना के संबध में।
प्रसंगः– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेशांक प. 40 / 10(1) / एनजीटी248 / राजस्व / 2023 / 56 दिनांक 20.03.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्रदत्त निर्देशानुसार एंव मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए / 248 / 2022 में आदेश दिनांक 21.09.2022 व 06.02.2023 की पालना में चम्बल नदी के अवैध खनन क्षेत्रों में लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने हेतु, अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव, अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों / वाहनों / भूस्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबध में विस्तृत जानकारी देने हेतु **दिनांक 22.03.2023 को ग्राम मौरोली तहसील धौलपुर** में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव, अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों / वाहनों / भूस्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी विभागों के उपस्थित अधिकारियों / प्रतिनिधियों द्वारा उनके विभाग से संबधित योजनाओं की जानकारी एंव वैकल्पिक रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

चम्बल बजरी के अवैध भण्डारण से संबधित खातेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु तहसीलदार धौलपुर द्वारा कुल 04 प्रकरण धारा 177 आरटीए के तहत प्रस्तुत किये गए है जिन्हे न्यायालय में दर्ज कर लिया गया है।

संलग्नः– सूचना निर्धारित प्रारूप

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड धौलपुर

Illegal Sand Dumping Cases in Dholpur District

Sub Division Name	RTA 177 Cases		LRA 91 Case	
	No. Of Cases	Total Area of land involved in such cases	No. Of Cases	Total Area of land involved in such cases
Dholpur	04	5.3741 हे०	Nill	
	कुल खातेदार – 47			

Annexure-15

DM (NGT) 3882 21-3-23

कार्यालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

क्रमांकः प.40/10(1)/एनजीटी–248/राजस्व/2023/ 56 दिनांकः 20.03.2023

आदेश

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए 248/2022 में आदेश दिनांकः 21.09.2022 व दिनांक 06.02.2023 की पालना में चम्बल नदी के अवैध खनन क्षेत्रों में लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने हेतु उन्हें अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव, अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों/वाहनों/भूस्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधान, माननीय एनजीटी के आदेशों की पालना एवं उपलब्ध वैकल्पिक रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्डाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार शिविर आयोजित किये जाने हेतु तिथि निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	दिनांक	शिविर स्थल
1	22.03.2023	हरिगिरि बाबा का मंदिर गंजरा बढापुरा ग्राम गौरोली तहसील धौलपुर
2	24.03.2023	राजीव गांधी सेवा केन्द्र सेवर पाली तहसील बाडी
3	27.03.2023	राजीव गांधी सेवा केन्द्र चीलपुरा तहसील राजाखेडा
4	28.03.2023	राजीव गांधी सेवा केन्द्र झिरी तहसील सरमथुरा

उक्त शिविर में निम्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तथा आमजन को अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव, अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों/वाहनों/भूस्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधान, माननीय एनजीटी के आदेशों की पालना एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उनके विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें वैकल्पिक रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे:–

1. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
2. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर
3. संबंधित उप पुलिस अधीक्षक
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
5. खनिज अभियंता, धौलपुर
6. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
7. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
8. जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर
9. डीपीएम, आरएसएलडीसी/राजीविका धौलपुर
10. परियोजना प्रबंधक, आर.एस.सी.डी.सी. धौलपुर
11. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर
12. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धौलपुर

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद धौलपुर स्थानीय सरपंच/ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से तथा संबंधित उपखण्डाधिकारीगण स्थानीय पटवारियों/गिरदावर के माध्यम से एवं उप वन संरक्षक वन विभाग, खनि अभियंता धौलपुर भी अपने स्तर से उक्त शिविर में उपस्थित होने हेतु अवैध खनन में लिप्त आस–पास के ग्रामों के लोगों को उपस्थित होने हेतु पाबंद करेंगे। अध्यक्ष द्वारा उक्त शिविरों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जावे। शिविर स्थल पर बैठने व छाया/पानी आदि की व्यवस्था अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर करायेंगे। संबंधित उपखण्डाधिकारीगण शिविर समाप्ति के पश्चात पीआरओ के माध्यम से प्रेसनोट

P.T.O.

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.03.20 [illegible]:26:06 IST
Reason: Approved

3193 21/3/23

RajKaj Ref No. : 3435912

जारी करायेंगे। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर व पीआरओ धौलपुर द्वारा शिविर की फोटो/वीडियो ग्राफी की क्लिप तैयार करायेंगे तथा उनके द्वारा समाचार पत्रों की कटिंग, फोटो/वीडियो ग्राफी की क्लिप आदि की रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवायी जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

क्रमांकः प.40/10(1)/एनजीटी–248/राजस्व/2023/855-70 दिनांकः 20.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वन विभाग शासन सचिवालय जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
2. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
3. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर
4. उपखण्डाधिकारी, धौलपुर/बाडी/राजाखेडा/सरमथुरा
5. संबंधित उप पुलिस अधीक्षक, धौलपुर/मनियां/बाडी/सरमथुरा
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
7. खनिज अभियंता, धौलपुर
8. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
9. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
10. जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर
13. डीपीएम, आरएसएलडीसी/राजीविका धौलपुर
14. परियोजना प्रबंधक, आर.एस.सी.डी.सी. धौलपुर
11. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर
12. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धौलपुर

जिला कलक्टर

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.03.2[illegible]:26:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3435912

वृक्ष धरा के भूषण है
करते दूर प्रदूषण है
खान एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर
जन जागरूकता शिविर
WELCOME

अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ज्ञापन दिया गया। चिकित्सकों ने अस्पताल से बाजार

... डॉ.पंकज सिंघल, डॉ.अश्विनी, डॉ.मनोज शर्मा, डॉ.पवन गोस्वामी आदि मौजूद थे।

जलीय जीव-जन्तुओं को भी प्रदान करें संरक्षण : देवीसिंह

राजाखेड़ा. जागरुकता शिविर में मौजूद अधिकारी व ग्रामीण।

अवैध खनन में लिप्त लोगों के लिए जागरुकता शिविर आयोजित

राजाखेड़ा @ पत्रिका. जिला प्रशासन एवं खान व भू-विज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र चंबल नदी में रहने वाले जलीय जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सोमवार को ग्राम पंचायत चीलपुरा में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन क्षेत्रा के लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने, अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने़ वाले दुष्प्रभाव तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों, वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चंबल में अवैध रेत खनन से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं सहित अन्य जलीय जीवों के जीवन पर संकट आ गया है। चंबल में अवैध खनन इन जलीय जीवों के लिए खतरे की घंटी है। प्रकृति के बनाए पेड़-पौधे, जलचर थलचरों की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन कार्य को छोड़ कर आजीविका के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान उप वन संरक्षक किशोर गुप्ता ने कहा कि सम्पूर्ण भारत के लगभग 75 प्रतिशत घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल और अन्य जलीय जीव रेत में घरौंदे बना कर अंडे सुरक्षित रखते हैं। रेत का उत्खनन करते समय अंडों की क्षति होती है।

जिससे इन जलीय जीवों की प्रजाति पर संकट आ गया है। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान तहसीलदार दिनेश चंद्र, विकास अधिकारी राकेश सिंघल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक दीपेन्द्र सिंह शेखावत, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मितुल गोयल, जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

धौलपुर. कचहरी परिस... संख्या में श्रद्धालु मंदिर... और खाद्य पदार्थों की ...

महिला ने भरतपुर में संभागीय आयुक्त से की शिकायत, कार्रवाई की मां...

'राजनी...

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. अखिल भारती... सम्मेलन पूर्वी राज... तत्वावधान में अग्रवाल... अग्र महाकुंभ मेहंदीपुर... 16 अप्रेल को आयोजित...

पूर्वी राजस्थान प्र... गिरीश गर्ग ने बताया... राजस्थान का सबसे ब... स्तरीय अग्र महाकुंभ... बालाजी धाम में आयो... महाकुंभ में धौलपुर, क... भरतपुर, अलवर, सव... गंगापुर सिटी जिले एव... साथ जयपुर, अजमेर, ... झुंझुनू, सीकर, बूंदी, झाल... जिले सहित राजस्थान... सैकड़ों की संख्या में... शामिल होंगे। अग्र ... अग्रवाल समाज की एक... एवं अग्रवाल सम्मेलन क... गति प्रदान करने एवं व... समस्याओं को लेकर श... किया जाएगा। राजनीति... समाज को उचित प्रतिनि... इस बात को लेकर मंच... मांग की जाएगी।

चंबल नदी में रहने वाले जलीय जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करें- देवी सिंह

अवैध खनन में लिप्त लोगों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित

-: हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

धौलपुर। जिला प्रशासन एवं खान व भू-विज्ञान विभाग द्वार राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्रा चंबल नदी में रहने वाले जलीय जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिऐ ग्राम पंचायत चीलपुरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखण्डाधिकारी राजखेडा देवी सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन क्षेत्र के लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने, अवैध खनन से वन्य जीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों, वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान उन्होने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चंबल में अवैध रेत खनन करने से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं सहित अन्य जलीय जीवों के जीवन पर संकट आ गया है। चंबल में अवैध खनन घड़ियाल मगरमच्छ, कछुआ और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरे की घंटी है। प्रकृति की रक्षा करें क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाये गयें पेड-पौधे जलचर थलचरों की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि घड़ियालों को बचाने के लिए अवैध खनन कार्य को छोड़ कर आजीविका के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर बचाने तथा कांजीरंगा अभ्यारण के एक सींग वाले गेंडे को बचाने का उदाहरण देते हुए घड़ियालों को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय घडियाल अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने पर देशी-विदेशी सैलानियों के आने पर रोजगार के अवसर बढेंगे। इस दौरान उप वन संरक्षक किशोर गुप्ता ने कहा कि सम्पूर्ण भारत के लगभग 75 प्रतिशत घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों द्वारा रेत में घरौंदे बनाए बनाकर अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं। रेत का उत्खनन करते समय अंडों की क्षति होती है जिससे इन जलीय जीवों की प्रजाति पर संकट आ गया है। इसी प्रकार रेत उत्खनन कार्य चलता रहा तो इन जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि घडियाल एवं मगरमच्छ के बच्चे 1 हजार की संख्या में से 2-4 ही जीवित रह पाते है। चंबल नदी में बर्षात के करण पानी की अधिक आवक होने पर ये बच्चे मर जाते हैं। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना,सहित अन्य फ्लेगसिप योजनाओं की जानकारी दी शिविर में अनुसूचत जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण महिला एवं शिल्पी समृद्धि योजना शिक्षा ऋण, डेयरी, जीप टेक्सी ऑटो रिक्सा ई-रिक्सा बकरी पालन इत्यादि योजनाओं की जानकारी दी। जिससे अवैध खनन में लिप्त व्यक्ति इस कार्य को छोड़ कर सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शिविर के दौरान तहसीलदार दिनेश चंद्र, विकास अधिकारी राकेश सिंघल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक दीपेन्द्र सिंह शेखावत, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मितुल गोयल जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा, सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

चंबल नदी में रहने वाले जलीय जीव जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करें क्षेत्रवासी : एसडीएम

राजाखेड़ा| जिला प्रशासन एवं खान व भू-विज्ञान विभाग द्वार राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य क्षेत्र चंबल नदी में रहने वाले जलीय जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत चीलपुरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन क्षेत्र के लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने, अवैध खनन से वन्य जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों, वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई.शिविर के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चंबल में अवैध रेत खनन करने से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं सहित अन्य जलीय जीवों के जीवन पर संकट आ गया है.चंबल में अवैध खनन घड़ियाल,मगरमच्छ, कछुआ और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरे की घंटी है उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा करें क्योंकि प्रकृति द्वारा बनाये गयें पेड-पौधे जलचर-थलचरों की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि घडियालों को बचाने के लिए अवैध खनन कार्य को छोड़ कर आजीविका के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं.उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर बचाने तथा कांजीरंगा अभ्यारण के एक सींग वाले गेंडे को बचाने का उदाहरण देते हुए घडियालों को बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के रूप में विकसित करने पर देशी-विदेशी सैलानियों के आने पर रोजगार के अवसर बढेंगे. इस दौरान उप वन संरक्षक किशोर गुप्ता ने कहा कि सम्पूर्ण भारत के लगभग 75 प्रतिशत घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं.घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों द्वारा रेत में घरौंदे बनाए बनाकर अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं.रेत का उत्खनन करते समय अंडों की क्षति होती है जिससे इन जलीय जीवों की प्रजाति पर संकट आ गया है इसी प्रकार रेत उत्खनन कार्य चलता रहा तो इन जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि घडियाल एवं मगरमच्छ के बच्चे एक हजार की संख्या में से 2-4 ही जीवित रह पाते है.चंबल नदी में वर्षात के करण पानी की अधिक आवक होने पर ये बच्चे मर जाते हैं. शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना,सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी।

दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रेस 25/3/23

अवैध खनन कार्य छोड़ कर जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तलाशें रोजगार के नये विकल्प - शीशराम यादव

बाड़ी के सेवर पाली में जागरूकता शिविर आयोजित

-: हिन्दुस्तान एक्सप्रेस :-

धौलपुर। जिले की पहचान चंबल नदी के स्वरूप को बनाए रखने में अवैध खनन में लिप्त लोगों को समझाइश कर रोजगार के अन्य विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। इसी क्रम में जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में बाड़ी के सेवरपाली गांव में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों तथा अवैध खनन से वन्य एवं जलीय जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने हेतु शिविर में आमजन को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में अवैध खनन करना गंभीर अपराध है। सब मिलकर चंबल नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के जलीय जीवों, घड़ियालों, कछुओं को बचाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अवैध खनन कार्य को छोड़ वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। चंबल में अवैध खनन घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और अन्य जलीय जीवों के लिए घातक है। घड़ियालों को बचाने के लिए अवैध खनन कार्य को छोड़ कर राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए विकल्प तलाश किए जा सकते हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी गिरधर सिंह ने कहा कि घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों द्वारा चंबल नदी की रेत में अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं। रेत का उत्खनन करते समय अंडों को क्षति होती है जिससे इन जलीय जीवों की प्रजाति पर संकट आ गया है। इसी प्रकार रेत उत्खनन कार्य चलता रहा तो इन जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, 1 रुपए किलो गेंहू, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई जिससे अवैध खनन में लिप्त व्यक्ति इस कार्य को छोड़ कर आजीविका हेतु अन्य नए कार्य कर सकते हैं। जागरूकता शिविर में स्नातक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता के भुगतान एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2022 से पुरुष आवेदकों को 4000 एवं महिला व दिव्यांग आवेदकों को 4500 दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में स्नातक योग्यता के साथ आवेदन करने की तिथि को या पूर्व से पंजीकृत हो, बेरोजगार हो एवं अध्ययनरत नहीं हो। इसी प्रकार जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। अनुजा निगम द्वारा संचालित अनुसूचित जाति जनजाति के तहत भैंस पालन, बकरी पालन, किराना स्टोर एवं ट्रैक्टर ट्राली के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते हैं और स्वयं का अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। शिविर में एम ई मुकेश मंगल,

» धौलपुर – अवैध खनन के नुकसानों के बारे में ग्रामीणों को समझाते एसीईओ शीशराम यादव

झिरी में आयोजित हुआ जागरुकता शिविर

जलीय जीवों को बचाने रोकें चंबल में अवैध खनन : एसडीएम जाटव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सरमथुरा. चंबल नदी में अवैध खनन में लिप्त लोगों को समझाइश कर रोजगार के नए विकल्पों की ओर मोडने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को गांव झिरी में जिला प्रशासन तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरुकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में विभागों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने अवैध खनन के दुष्प्रभाव, अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाई आदि के बारे में बताया। उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने कहा कि चंबल नदी में अवैध खनन करने से जलीय जीवों घडियाल, मगरमच्छ, कछुआ व मछलियों के जीवन पर संकट आता है। इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।

सरमथुरा. झिरी में अवैध खनन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित शिविर में मौजूद लोग व अधिकारी।

हमारा नैतिक दायित्व है कि इन जलीय जन्तुओं को बचाने के लिए केवल अवैध खनन को रोकना ही नहीं वरन उनके जीवन को बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करना चाहिए। शिविर में वन विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग के अधिकारियों ने चम्बल नदी से अवैध खनन करने में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के प्रावधानों के बारे में बताया।

शिविर में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम योजना की जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जल की उपयोगिता को समझाते हुऐ विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में तहसीलदार उत्तम चंन्द्र बंसल, खनन अभियंता भरतपुर सुरेश चंद्र शर्मा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग दीपेन्द्र सिंह शेखावत, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मितुल गोयल, विकास अधिकारी जीतेन्द्र शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे।

राजस्थान

जागरूक टाइम्स

जयपुर, शनिवार, 25 मार्च, 2

अवैध खनन कार्य छोड़कर, जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तलाशें रोजगार के नए विकल्प : एसीईओ

बाड़ी के सेवर पाली में जागरुकता शिविर आयोजित

जागरुक टाइम्स संवाददाता

धौलपुर। जिले की पहचान चंबल नदी के स्वरूप को बनाएं रखने में अवैध खनन में लिप्त लोगों को समझाइश कर रोजगार के अन्य विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में बाड़ी के सेवरपाली गांव में खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

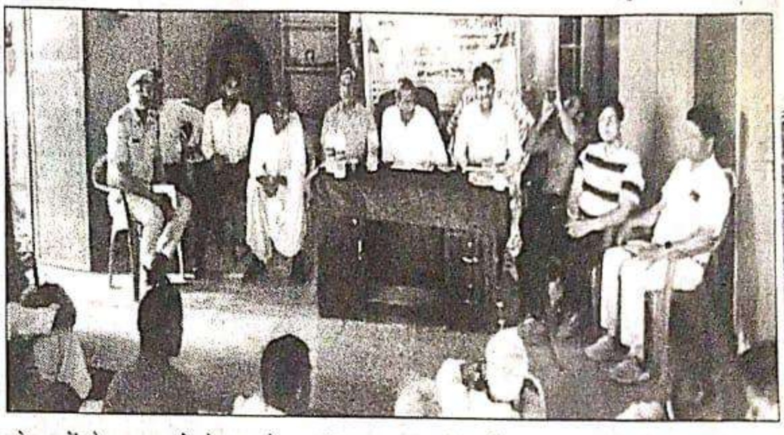

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों तथा अवैध खनन से वन्य एवं जलीय जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने हेतु शिविर में आमजन को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में अवैध खनन करना गंभीर अपराध है। सब मिलकर चंबल नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के जलीय जीवों, घड़ियालों, कछुओं को बचाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अवैध खनन कार्य को छोड़ वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। चंबल में अवैध खनन घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और अन्य जलीय जीवों के लिए घातक है। घड़ियालों को बचाने के लिए अवैध खनन कार्य को छोड़ कर राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए विकल्प तलाश किए जा सकते हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी गिरधर सिंह ने कहा कि घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों द्वारा चंबल नदी की रेत में अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं। रेत का उत्खनन करते समय अंडों को क्षति होती है जिससे इन जलीय जीवों की प्रजाति पर संकट आ गया है। इसी प्रकार रेत उत्खनन कार्य चलता रहा तो इन जलीय जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी , इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, 1 रुपए किलो गेंहू, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई जिससे अवैध खनन में लिप्त व्यक्ति इस कार्य को छोड़कर आजीविका हेतु अन्य नए कार्य कर सकते हैं। जागरूकता शिविर में स्नातक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता के भुगतान एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2022 से पुरुष आवेदकों को 4000 एवं महिला व दिव्यांग आवेदकों को 4500 दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में स्नातक योग्यता के साथ आवेदन करने की तिथि को या पूर्व से पंजीकृत हो, बेरोजगार हो एवं अध्यनरत नहीं हो। इसी प्रकार जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। अनुजा निगम द्वारा संचालित अनुसूचित जाति जनजाति के तहत भैंस पालन, बकरी पालन, किराना स्टोर एवं ट्रैक्टर ट्राली के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते हैं और स्वयं का अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। शिविर में एम ई मुकेश मंगल, जिला उद्योग केंद्र के मितुल गोयल सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर 29/3/23

चंबल नदी में अवैध खनन को रोकने लिए क्षेत्रवासी सहयोग करें : मनीष

धौलपुर| चंबल नदी में अवैध खनन में लिप्त लोगों को समझाइश कर रोजगार के नए विकल्पों की ओर मोडने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सरमथुरा के गाँव झिरी में जिला प्रशासन तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भी विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने अवैध खनन के दुष्प्रभाव, अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरूद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही, प्रावधानों की जानकारी देते हुए अवैध खनन कार्य को पूर्ण रूप से छोड़कर अन्य वैकल्पिक रोजगारों की ओर उन्मुख होने की अपील की।

उपखण्ड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि चंबल नदी में अवैध खनन करने से उसमें निवास करने वाले जलीय जीव जन्तुओं घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, मछलियों के जीवन पर संकट आता है, जिससे पर्यावरण के लिए उक्त प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें इन जलीय जन्तुओं को बचाने के लिए केवल अवैध खनन को रोकना ही नही वरन उनके जीवन को बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी ने आमजन को सम्पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला के स्वरूप को उजागर करते हुए वन्य जीव, जलीय जीव व प्राणीजात के अन्तर्संबंधों के महत्व को समझाया। शिविर में वन विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग के अधिकारियों ने जन समुदाय को संबोधित करने हेतु चंबल नदी से अवैध खनन करने में संलिप्त लोगों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रावधानों के बारे में बताया तथा इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाहियों में संलिप्त न होने की अपील की ताकि कानूनी कार्यवाही के दुष्प्रभावों से अपने परिवार के भविष्य को सुखद व सुरक्षित बनाएं।

एवं भू-विज्ञान विभाग, धौलपुर
2023/03/24 11:56

Annexure-16

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक, (नरेगा) एवं जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक : मनरेगा / 2023 / 373।　　　　　　　　　　दिनांक 10.01.2023

खनिज अभियन्ता
धौलपुर

विषय :— माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ0ए0248 / 2022 (हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक " **Digging up to Chambal**" के संबंध में।

प्रसंग :— आपके कार्यालय पत्रांक 01 दिनांक 06.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में बैठक कार्यवाही विवरण में क्रमांक 4 पर दर्ज सिफारिस **Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining** के संलिप्त स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पि रोजगार के तहत मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत कर गत वर्षो में ग्रामपंचायत के अंतर्गत ग्रामों में रोजगार दिया गया हैं।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम		स्वीकृत कार्य	सृजित मानव दिवस
	ग्राम पंचायत	ग्राम		
1	समौना	समौना	46	1006
2	बसईकारे	जैतपुर	124	10499
3	फरासपुरा	अण्डवापुरैनी	190	14667
4	भैसेना	भूराखेडा	128	1481
5	बसईनीम	बसईनीम, बीछिया	114	7669
6	मोरोली	मोरोली	99	3819
7	बसईडांग	चंदीलपुर	176	13301
	कस्बानगर	कस्बानगर	125	10475
8	सेवरपाली	सेवरपाली	314	33418
9	झिरी	झिरी, शंकरपुरा	259	20091
			1575	116426

अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस
जिला परिषद, धौलपुर

Annexure-17

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर

क्रमांकः एफ ( ) उवस/स्टोर/2022–23/ 5597 दिनांकः– 23.01.2023

निमित,

श्रीमान निदेशक,
पर्यटन विभाग, जयपुर

विषयः– राज्य बजट 2022–23 घोषणा पैरा संख्या 105 (1) प्रत्येक जिले के 2–2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधी कार्य क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में संशोधित प्रस्ताव भिजवाये जाने के क्रम में।

सन्दर्भ :– श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर का पत्रांक पर्यटन/सामान्य/2018/116 दिनांक 12-01-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बजट 2022–23 अन्तर्गत की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जिले में निम्नलिखित दो प्रसिद्ध / महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों क्रमशः श्री हनुमान जी किला शेरगढ धौलपुर लागत 1.5 करोड़ तथा चम्बल सफारी धौलपुर लागत 1.5 करोड़ के तकमीना / विस्तृत लागत प्रस्ताव संलग्न किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है

भवदीय

(अनिल कुमार यादव)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

क्रमांकः एफ ( ) उवस/स्टोर/2022–23/ 5598–5600 दिनांकः– 23.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
2. श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर
3. उप निदेशक पर्यटन स्वागत केंद्र भरतपुर

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

Hanuman Mandir (NCS Dholpur)

Sr. No	Name of Work	Cost(Rs)
1	Sitting Area with Roofing for Wild Life Monitoring	10
2	Inspection Path for Wild Life Monitoring	20
3	Chairs,Tables, Gates etc	15
4	Eco-Huts 4 Nos	13
5	Landscaping and Tree Plantation	20
6	Gardening pots	06
7	Toilets	10
8	Ghariyal Breeding Center Fencing	05
9	Water Supply for Ghariyal Breeding	20
10	Ghariyal and Wildlife Monitoring Center	15
11	Juliflora Removal for Habitat Development	13
12	Drip Irrigation for Plants	03
Total		150

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

Chambal Safari(NCS Dholpur)

Sr. No.	Name of Work	Cost (Rs)
1.	Swiss Tents and Platform 2 Nos	10.00
2.	Inspection Path for Wildlife Monitoring	20.00
3.	Pitching Soil Erosion Control	20.00
4.	Dolphin Monitoring Point Stairs	10.00
5.	Railing for Wild Life Monitoring	06.00
6.	Pathway Development for Soil Stabilization	40.00
7.	Bio Toilets	04.00
8.	DIS-EMBARKMENT & EMBARKMENT PLATFORM for Boats	30.00
9.	Boat FRP 1 No	10.00
	Total	**150.00**

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

Annexure-18

25.02.2023

अवैध खनन पर टीम बना करें कार्रवाई

धौलपुर। अवैध बजरी खनन से चंबल की जैव विविधता की क्षति को कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), की कार्य योजना के संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अवैध खनन को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की गई।

धौलपुर में एनजीटी कार्य योजना की बैठक लेते डीएम। *संवाद*

जिला कलक्टर ने बताया कि चंबल से अवैध बजरी खनन के कारण घड़ियाल, कछुओं एवं मगरमच्छों आदि को हानि होती है। बजरी खनन से इन प्रजातियों के आवास की क्षति होती है एवं उनके अंडों को भी हानि होती है।

अवैध खनन के विरूद्ध वन, खनन एवं पुलिस की संयुक्त टास्कफोर्स के गठन के निर्देश दिए। सागर पाड़ा चौकी पर नाका स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन, परिवहन, खनन एवं पुलिस साथ मिलकर कार्य करें। डेटा व्यवस्थित रखें जिसमें तारीख, वाहन नंबर, वाहन मालिक का नाम, चालक का नाम होना चाहिए।

सद अधिकारी को आदेश दिए जिससे अवैध बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को उनके फिलिंग स्टेशन पर ईंधन न दिया जाए।

दै० राज० पत्रिका 6/3/23

ईंटों की आड़ में चंबल बजरी की तस्करी, एक पकड़ा

राजाखेड़ा. पुलिस थाने में खड़ा बजरी से भरा ट्रोला।

पुलिस ने चार ट्रेक्टर ट्रॉली किए जब्त

शमशाबाद-राजाखेड़ा बॉर्डर पर हुई कार्रवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

राजाखेड़ा. ईंटों की आड़ में प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी की तस्करी करने वाले के गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई में अवैध बजरी लदे चार ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को भी जब्त किया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है।

थाना प्रभारी गंगासहाय मीना ने बताया कि शमशाबाद-राजाखेड़ा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान शनिवार रात को मुनेश पुत्र निरोतीलाल निषाद निवासी डोंगरपुर कुछ ईंटों से भरे हुए ट्रेक्टर-ट्रॉली के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोका तो ट्रेक्टर चालक अपने ट्रेक्टर को छोडकर भागने लगा। जिस पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 4 ट्रेक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है।

प्रतिदिन आगरा व धौलपुर जाते हैं ट्रोले

राजाखेड़ा उपखण्ड क्षेत्र में 100 से अधिक वैध-अवैध ईंट भट्टों से 200 से अधिक ऐसे ट्रोले प्रतिदिन आगरा और धौलपुर की ओर जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ट्रोले ईंटों की आड़ में चम्बल रेता की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार पकड़ में आ पाए हैं। ये ट्रोले देर रात आगरा मार्ग पर जाम के भी हालात पैदा कर देते हैं। अब इनके पकड़े जाने से इनकी संख्या पर लगाम की उम्मीद बंधी है।

14.03.2023

अवैध रूप से रेता ले जाते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

सरमथुरा @ पत्रिका. पुलिस व वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा एवं वन विभाग की टीम के नेतत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिलौनी गांव के पास से एक टैक्टर को अवैध रूप से चंबल रेता ले जाते मय ट्रॉली के जब्त किया। टैक्टर चालक ऊबड़-खाबड़ खानों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने उक्त टैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मौके पर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, कांस्टेबल भंवर सिंह, समुंद्र सिंह, संदीप सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

15.03.2023

अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एक गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सैंपऊ @ पत्रिका. कस्बा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अवैध बजरी के खिलाफ अभियान को लेकर मंगलवार सुबह नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सहीराम यादव ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के निर्देशानुसार मंगलवार सुबह नाकाबंदी के दौरान पार्वती नदी पुलिया के पास से अवैध चंबल रेत से भरे ट्रैक्टर महिंद्रा 475 को जब्त किया है। वहीं पुलिस जवानों द्वारा भागने के प्रयास कर रहे ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर ने पूछताछ में अपना नाम राजकुमार बताया। उक्त प्रकरण में मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान शुरू कर दिया है।

दै० अमर उजाला 15/3/23

चंबल घड़ियाल अभयारण्य से लोगों का विस्थापन कराएंगे

तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, ग्रामीणों से ली गई सहमति

धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल क्षेत्र से लोगों का विस्थापन कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने विस्थापन संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले चन्द्रपुर गांव के ग्रामीणों को सहमति लेकर जमीन या मुआवजा दिया जाएगा।

जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव चंद्रपुर के लोगों से इस संबंध में सहमति ली

जमीन या नगद धनराशि में दिया जाएगा मुआवजा

गई है। डीएम ने चंद्रपुर के पास सीमांकन कराने और ग्रामीणों को इससे अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि या नकद मुआवजा देने पर चर्चा की गई। पशुपालन विभाग को प्रभावित लोगों के पशुधन की गणना के निर्देश दिए ताकि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया हो सके। उपखंडाधिकारी सरमथुरा को विस्थापित लोगों के भू स्वामित्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र के उप वन संरक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि जंतु मानव विवाद एवं वन्यजीवों की सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए चंबल नदी के किनारे से चंद्रपुर गांव के लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। मुआवजे एवं क्षतिपूर्ति हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क को परिवार माना जाएगा एवं उसे नकद या जमीन दी जाएगी। संवाद

18.03.2023

तीन राज्य मिलकर रोकेंगे बजरी का अवैध उत्खनन व परिवहन

एनजीटी के नए निर्देशों की हो सख्ती से पालना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. मुरैना के देवरी में आयोजित अन्तरराज्यीय बैठक को संबोधित करते जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल। साथ हैं पुलिस अधीक्षक. मनोज कुमार। पत्रिका

धौलपुर. चंबल नदी से बजरी के अवैध उत्खनन और इसके अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए तीन राज्य राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश साथ आए हैं।

शुक्रवार को मुरैना के देवरी स्थित घडियाल पालन केन्द्र पर धौलपुर, मुरैना और आगरा जिलों के जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में धौलपुर जिला कलक्टर ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के छह फरवरी के नए आदेशों की अनुपालनां के लिए सख्ती बरतने की आवश्यकता जताई। बैठक मे तीनों ही जिले अन्तरराज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने पर सहमत हुए। अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर में भी मध्यप्रदेश सीमा पर सागरपाड़ा चौकी पर अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश सीमा पर बरैठा चौकी पर भी अतिरिक्त जाप्ता लगाया जा रहा है। बजरी तस्करी के हरसंभव मार्गो पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। अग्रवाल ने युवाओं व तस्करी में लिप्त लोगों से सम्मानजनक आजीविका के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक. मनोज कुमार, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के डीएफओ अनिल कुमार यादव, मुरैना डीएफओ स्वरूप दीक्षित आदि मौजूद रहे।

21.03.2023

'अवैध बजरी परिवहन पर सख्ती से लगाएं रोक'

धौलपुर. कलक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलक्टर।

धौलपुर @ पत्रिका. जिला कलक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बजट घोषणाओं की क्रियान्विति से संबंधित भूमि आवंटन को लेकर सभी विभागों को भूमि आवंटन को लेकर प्रस्ताव की प्रक्रिया करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस पर निकलने वाली अहिंसा रैली को लेकर सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर रैली निकालने के संबंध मे निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को आयोजन होने पर छात्रों को एकत्रित करने के लिए व गांधी दर्शन और देशभक्तिपूर्ण नारों को लेकर दिशा निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा व सरमथुरा को बजरी अवैध खनन को रोकने के लिए बैठक में निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सभी विभागों को अपने बकाया बिजली बिलों को भुगतान के निर्देश दिए। जिला रोजगार अधिकारी को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थियों को 23 व 24 मार्च भरतपुर में होने वाले मेगा जॉब फेयर में भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सभी विभागों को संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

21.03.2023

दैo हिन्दुस्तान एक्सप्रेस 21/3/23

घडियालों का घर बचाने की कवायद, तीन राज्यों की मुख्य सचिव स्तरीय कॉन्फ्रेंस

-: हिन्दुस्तान एक्सप्रेस :

धौलपुर। चंबल से अवेध बजरी खनन एवं इसके परिवहन को रोकने हेतु उत्तरप्रदश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य सचिव की सह अध्यक्षता में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में अवैध बजरी खनन को रोकने हेतु तीनों राज्यों के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जॉइन्ट एक्सन प्लान पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने बताया कि राजस्थान की सीमा में अवैध बजरी खनन नहीं हो रहा है बल्कि पडोस के राज्यों से होने वाली बजरी खनन के परिवहन हेतु राजस्थान सीमा में प्रवेश कर राज्य के मार्गो का उपयोग किया जा रहा है। बैठक में तीनों राज्यों की जॉइन्ट चैक पोस्ट स्थापित करने पर भी चर्चा की गई। जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अवैध बजरी खनन के परिवहन को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण दिया साथ ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने जिला कलेक्टर धौलपुर को अवैध बजरी खनन के परिवहन को रोकने हेतु नोडल अधिकारी बनाया। मुख्य सचिव ने कहा कि अवेध बजरी खनन की समस्या तभी हल हो सकेगी जब खनन स्रोत पर ही कडी कार्यवाही की जायेगी।

22.03.2023

लोगों को बताएंगे अवैध खनन के दुष्प्रभाव

जागरुकता शिविर आज से

धौलपुर @ पत्रिका. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में चंबल नदी के अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को जागरूक करने, अवैध खनन से वन्यजीवों पर पडने वाले दुष्प्रभाव तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों व वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी देने के लिए जिले में शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 22 मार्च को धौलपुर तहसील में हरिगिरि बाबा का मंदिर मजरा बढ़ापुर ग्राम मौरोली, 24 मार्च को बाड़ी तहसील में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सेवरपाली, 27 मार्च को तहसील राजाखेड़ा में राजीव गांधी सेवा केन्द्र चीलपुरा तथा 28 मार्च को तहसील सरमथुरा में राजीव गांधी सेवा केन्द्र झिरी पर जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

दै० राज० पत्रिका 25/3/23

जिला कलक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

'बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते चम्बल नदी से अवैध रूप से रेत बजरी परिवहन मे प्रयुक्त बिना नम्बरी वाहनों को डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करने व तेल कम्पनी की ओर से निर्धारित मापदंड, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान केन्द्र/राज्य सरकार की ओर से जारी निर्धारित सीमा से अधिक डीजल-पेट्रोल कंटेनर में नहीं देने के आदेश जारी किए हैं।

जिला कलक्टर ने बताया कि चंबल नदी क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों से अवैध बजरी खनन व परिवहन में लिप्त होने की आशंका रहती है। जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों से कभी भी आपराधिक घटना की जा सकती है।

एनजीटी ने भी चंबल नदी में अवैध रूप से बजरी खनन व परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल-पेट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल नहीं दिए जाने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए इन आदेशों का उलंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस वृत्ताधिकारियों, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिले के समस्त थानाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश 24 मार्च से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभाव के रहेगा। आदेश की निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

दिनांक 25/03/2023

बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों को नही मिलेगा डीजल ,पेट्रोल

जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जारी किए आदेश

-: हिन्दुस्तान एक्सप्रेस :-

धौलपुर। चंबल नदी क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों द्वारा नदी से अवैध बजरी खनन व परिवहन में लिप्त होने की संभावना रहती है। जिससे कई बार दुर्घटना होने पर वाहन की पहचान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। तथा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों से कभी भी आपराधिक घटना की जा सकती है। बिना नम्बर प्लेट के वाहन होने से उनको चिन्हित करने में भी कठिनाई होती हैं। जिससे आमजन में रोष व्याप्त होकर कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका रहती है। माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा भी चंबल नदी में अवैध रूप से बजरी ,रेता खनन व परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल पेट्रोल नही दिये जाने के निर्देश दिये है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा भी बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं दिये जाने के आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते चम्बल नदी से रूप से रेत बजरी परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बरी वाहनों ट्रेक्टर ट्रेक इत्यादि को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करने, ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदन्य, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल पेट्रोल कंटेनर में नहीं देने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों का उलंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों समस्त पुलिस वृत्ताधिकारियो,तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिले के समस्त थानाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश आज़ 24 मार्च 2023 से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभाव के रहेगा। आदेश की निषेधाज्ञा की या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जावेगा।

दिनांक 26/03/2023

अवैध चंबल रेता ले जाते तीन गिरफ्तार, तीन ट्रेक्टर ट्रॉलियां भी जब्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

राजाखेड़ा. अवैध चंबल रेता ले जाते पकड़े आरोपी। पत्रिका

राजाखेड़ा. अवैध चम्बल रेता बजरी ले जाते हुये तीन व्यक्तियों को राजाखेड़ा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। राजस्थान पत्रिका में शनिवार को प्रकाशित समाचार के बाद हरकत में आई पुलिस ने मय चम्बल रेता बजरी भरे हुए तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

इनके खिलाफ अवैध चम्बल रेता बजरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की। थानाधिकारी गंगासहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चम्बल रेता बजरी परिवहन कर ले जाने वाले तीन ट्रैक्टर मय ट्रोली अवैध चम्बल रेता बजरी भरे हुए को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद पुत्र सियाराम जाति राठौर उम्र 35 साल नि0 मेहहोली जिला धौलपुर, सोमेश पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राह्मण नि. पुरैनी थाना दिहोली, गजेन्द्र उर्फ गब्बर पुत्र जनकसिंह जाति ठाकुर नि0 गढ़ीवालापुरा (पुरैनी) थाना दिहोली शामिल है। विशेष पुलिस टीम में गंगासहाय थानाधिकारी, दीनदयाल एएसआई, आनन्द कुमार एचसी, विशालसिंह एचसी, सुरेशचन्द्र एचसी, सुशील कुमार कानि, बबलू कानि, यतेन्द्र कानि, रामसहाय शामिल रहे।

दि-ांक 26/03/2023

अवैध खनन, छह ट्रेक्टर ट्रॉलियां पकड़ी

सैंपऊ @ पत्रिका. थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर आरोपी चालकों को पकड़ा है। थानाधिकारी सहीराम यादव ने बताया कि अभियान के दौरान टीम गठित कर अवैध खनन के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। बसई नवाब रोड से चंबल रेता से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर चालक को पकड़ा है। वहीं, अवैध पत्थर से भरे ट्रेक्टर को कैथरी बॉर्डर से जब्त किया। इसी तरह एक ट्रेक्टर को तसीमों पुल के पास से पकड़ा। जबकि ट्रेक्टर ट्रॉली अवैध पत्थरों से भरा दुबेपुरा मोड़ से जब्त किया है। वहीं, दो ट्रेक्टर ट्रॉली को कुम्हेरी प्याऊ व जाकी से पकड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई में आरोपी गुड्डू पुत्र आदिराम कुशवाहा निवासी टेहरी का पुरा, अजीत सिंह पुत्र मंगल सिंह गुर्जर निवासी सूबे का पुरा, सोनू पुत्र सीताराम गुर्जर निवासी सूबे का पुरा, संदीप पुत्र कुमरसिंह गुर्जर, भगवत राम पुत्र रमेश चंद निवासी खेरा का पुरा, अमरेश पुत्र मुन्नालाल निवासी खैमरी को पकड़ा है।

दिनांक 26/03/2023

अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई, पांच माफिया गिरफ्तार

CRIME पत्रिका क्राइम रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. कोतवाली थाना पुलिस की गिरफ्त में अवैध खनन में लिप्त आरोपित।

धौलपुर. सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में बजरी माफिया।

धौलपुर. चंबल से बजरी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली व सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन व परिवहन में लिप्त पांच माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बजरी से भरे पांच व अवैध पत्थर से भरे दो ट्रेक्टर- ट्रॉली को भी जब्त किया है।

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि थाना पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त चार माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं, चार ट्रेक्टर-ट्रॉली भी जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि झोरवाली माता तिराहे और हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के सामने अवैध खनन के पत्थर से भरे दो ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर हिन्नौदा का पुरा निवासी मोनू जाटव (20) व पुरानी छावनी निवासी बंटू बेग (27) को गिरफ्तार किया है। वहीं, थाना पुलिस ने रजावली मोड़ व लुहारी पर नाकाबंदी कर अवैध चंबल रेता से भरे दो ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। इस मामले में दो बजरी माफिया शंकरपुरा निवासी राजवीर सिंह निषाद (40) तथा गोपालपुरा निवासी कुमरसेन ठाकुर (40) को गिरफ्तार किया है।

उधर, सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता से भरे तीन ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त की हैं। वहीं, एक बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि बजरी माफिया शंकरपुरा निवासी बंटी निषाद (32) को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान दो बजरी माफिया भागने में सफल रहे।

दिनांक 26/03/2023

राजस्थान पत्रिका ने पूर्व में ही चेता दिया था, बजरी स्टॉक करने वालों पर भी शुरू हुई कार्रवाई

अवैध खनन पर कड़ा प्रहार, पूरी सागरपाड़ा चौकी बदली, जमीनों को करेंगे सरकारी

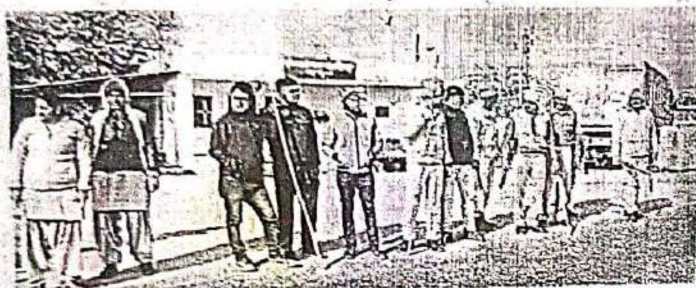

धौलपुर. सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर रेता का अवैध खनन व परिवहन रोकने तैनात जाप्ता। फाइल फोटो

सिवाय चक होगी बजरी स्टॉक वाली भूमि

उधर, प्रशासन ने भी चंबल बजरी का अवैध स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। धारा 177 के तहत ऐसी भूमि को निजी खातेदारी से सिवाय चक यानि सरकारी भूमि बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने शेखूपुर व सुंदरपुर गांवों में चार भूमि के मालिकों को नोटिस दिया है। सिंह ने बताया कि शेखूपुर निवासी रामवीर पुत्र स्व. छत्र सिंह, मुईनुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन व जन्नू पुत्र भगवान सिंह, आशा पुत्री दौलतराम, कन्हैया पुत्र भगवान सिंह वगैरह तथा सुंदरपुर निवासी अचलसिंह, भरतसिंह व हरिकेश पुत्र इंदरसिंह वगैरह की जमीनों पर चंबल बजरी का अवैध स्टॉक पाया गया था। तहसीलदार की रिपोर्ट पर इन जमीनों की किस्म बदल कर सिवाय चक करने अर्थात सरकारी करने की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पत्रिका

स्पॉटलाइट

जिलेभर में चलाए जा रहे हैं जागरुकता शिविर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. चंबल के किनारे हो रहे अवैध खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के कड़े रवैए के बाद धौलपुर में बजरी माफियाओं और इनके सहयोगियों पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने पूरी सागरपाड़ा चौकी ही बदल दी है। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका ने 25 मार्च के अंक में 'सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर गिर सकती है गाज!' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर अवैध खनन मामले मे कोतवाली थानान्तर्गत मध्यप्रदेश सीमा पर नेशनल हाइवे 44 स्थित सागरपाड़ा चौकी का पूरा स्टाफ बदले जाने की आशंका को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। शनिवार को चौकी का पूरा स्टाफ बदल दिया गया। बता दें, चंबल से रेता के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है। 16 मार्च को एनजीटी ने इसे लेकर नए आदेश भी जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनजीटी के नए आदेशों को लेकर जिलास्तरीय बैठक में भी सागरपाड़ा चौकी से होकर चंबल रेता के अवैध परिवहन का मामला उठा था। वहीं, प्रशासन ने भी अवैध खनन में लिप्त लोगों की समझाइश के लिए जिलेभर में जागरुकता शिविरों का आयोजन किया है। बजरी का स्टॉक करने वालों की भूमि को सरकारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

फॉलोअप

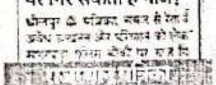

सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर गिर सकती है गाज!

25 मार्च को प्रकाशित खबर।

जिलेभर में कार्रवाई

उधर, चंबल से बजरी के अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की गई। विभिन्न थानों की पुलिस ने रेता का अवैध परिवहन कर रहे ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। जिलेभर में हुई इस कार्रवाई से बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

पोसवाल होंगे चौकी प्रभारी

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि सागरपाड़ा चौकी का स्टाफ बदला गया है। यहां तीन कांस्टेबल व एक इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी तैनात थे। इन्हें हटाकर अब नया स्टाफ लगाया गया है। उप निरीक्षक नरेश पोसवाल को चौकी प्रभारी बनाया गया है।

पहले समझाइश, फिर सख्ती

उधर, एनजीटी के आदेशों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अवैध बजरी उत्खनन में लिप्त लोगों की समझाइश के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें लोगों को अवैध खनन के नुकसान और कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया जा रहा है। इसी के साथ बजरी माफियाओं पर कार्रवाई भी की जा रही है।

इनका कहना है

एनजीटी के आदेशों को लेकर प्रशासन व पुलिस सख्त है। किसी कीमत पर चंबल से रेता का अवैध उत्खनन व परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अनैतिक कार्य मे लिप्त लोग भी इसे छोड़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। विभिन्न योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

अनिल कुमार अग्रवाल,
जिला कलक्टर धौलपुर

Shri Madan
Near Hanum

राजस्थान पत्रिका 07/09/2022

चंबल बजरी का अवैध स्टॉक करने वाले दो गिरफ्तार

अवैध स्टॉक को कराया नष्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बाड़ी. अवैध चम्बल रेता भण्डारण व परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत सीओ मनीश कुमार के निर्देशन में थाना बाड़ी सदर की टीम ने राजस्व व वन अधिकारियों के साथ गांव अंमोलपुरा के मोहरू का पुरा में संयुक्त कार्रवाई कर चंबल बजरी का अवैध स्टॉक का नष्ट कराया।

मौके पर करीब 70-80 ट्रॉली अवैध चंबल बजरी का स्टॉक मिला, जिसे जेसीबी मशीन से खुर्द-बुर्द कर दिया।थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि अवैध रूप से चम्बल रेता का भण्डारण व परिवहन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी जीतेन्द्र पुत्र भवती गुर्जर निवासी मोतीकापुर मजरा कुआखेड़ा थाना बाड़ी सदर व वीरेन्द्र पुत्र औतार गुर्जर निवासी मौहरुकापुरा मजरा कुआखेड़ा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है।

बाड़ी. अवैध बजरी मामले में पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

राजस्थान पत्रिका 08/09/2022

चंबल बजरी का स्टॉक पकड़ा, एक डम्पर भी जब्त

करीब 80 ट्रॉली रेता बरामद

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. ज़िला पुलिस ने चंबल रेता के अवैध स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को करीब 80 ट्रॉली रेता बरामद किया है। पुलिस ने एक बड़े डम्पर को भी पकड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि कोतवाली पुलिस के साथ निहालगंज, सदर, महिला थाना, यातायात पुलिस व आरएसी की संयुक्त टीम ने वन विभाग के साथ कार्रवाई कर शेखूपुर के पास पहलवान कॉलोनी के पीछे खेतों और बाड़ों में पड़ा करीब 80 ट्रॉली अवैध बजरी का स्टॉक नष्ट कराया है। वहीं, एक बड़े डम्पर को भी वन विभाग ने जब्त किया है। मामले में स्टॉक करने वालों की तलाश की जा रही है।

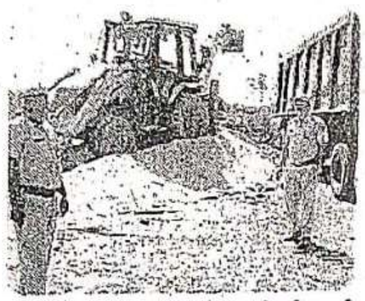

धौलपुर. अवैध स्टॉक पर कार्रवाई करती जिला पुलिस व वन विभाग की टीम।

राजस्थान पत्रिका 13/09/2022

रेता से भरा ट्रक जब्त,

धौलपुर @ पत्रिका. मनियां थाना पुलिस ने नेशनल हाइवे 44 स्थित

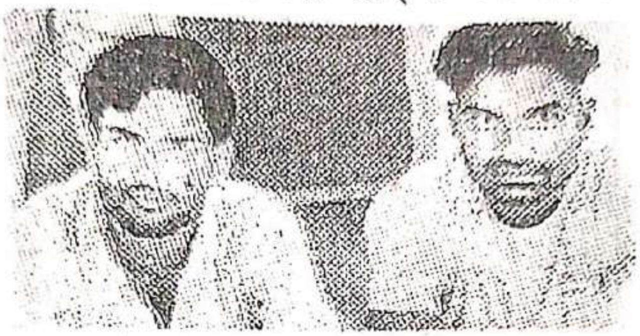

बरैठा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान अवैध चंबल रेता से भरा ट्रक जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने दो बजरी माफिया को गिरफ्तार भी किया है। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक चंबल रेता का अवैध परिवहन कर रहा है। इस पर बरैठा चौकी पर नाकाबंदी कराई गई। पुलिस ने बताया कि मुरैना मध्यप्रदेश के सरायछोला थाना के अजयचंद का पुरा निवासी रविकुमार गुर्जर (33) तथा मसूदपुर गांव निवासी रामदास गुर्जर (32) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, ट्रक को जब्त कर लिया गया है।

राजस्थान पत्रिका 09/11/2022

एक हजार का इनामी बजरी माफिया गिरफ्तार

करीब पांच साल से था फरार

धौलपुर @ पत्रिका. निहालगंज थाना पुलिस ने करीब पांच साल से फरार चल रहे एक हजार रुपए के इनामी बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि कांस्टेबल शिवकुमार को मुखबिर से बजरी माफिया के बारे में सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम धौलपुर बस स्टैंड पर पहुंची। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पचौरीपुरा मजरा रिठौरा थाना सरायछोला मध्यप्रदेश निवासी गन्नो उर्फ गजेन्द्र गुर्जर (31) बताया। वह करीब पांच साल से वन्यजीव अधिनियम में फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित था।

धौलपुर. निहालगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में एक हजार का इनामी रेता माफिया।

राजस्थान पत्रिका
28/12/2022

चंबल रेता का अवैध परिवहन: एक ट्रक व एक डंपर जब्त, चार गिरफ्तार

धौलपुर. निहालगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपित।

निहालगंज और मनियां थाना पुलिस की कार्रवाई

धौलपुर. मनियां थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपित।

धौलपुर. जिले से होकर रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रेक्टर-ट्रॉलियों और ट्रक-डंपरों से चंबल रेता का परिवहन हो रहा है। लेकिन, जिले की पुलिस कभी-कभार इक्का-दुक्का कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाती है। ऐसी ही दो कार्रवाई जिले में की गई हैं। मंगलवार को निहालगंज थाना पुलिस ने एक डंपर जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मनियां थाना पुलिस ने भी एक ट्रक जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

निहालगंज थाना पुलिस ने बताया कि नेशनल हाइवे 44 पर मिडवे के सामने अवैध रूप से रेता ले जाते एक डंपर को जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने डंपर चालक मौरोली निवासी बनवारी गुर्जर उर्फ करुआ (30) तथा उसके साथी टिकटौली थाना सुमावली मध्यप्रदेश निवासी रवि गुर्जर (19) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, मनियां थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि नेशनल हाइवे 44 पर बरैठा चौकी के आगे नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक आता दिखा। जिस पर तिरपाल ढंकी थी। बावर्दी पुलिस को देख दो लोग ट्रक को साइड में खड़ा कर भागने लगे। जिन्हें बरैठा चौकी प्रभारी जितेन्द्र सिंह व पुलिस टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मसूदपुर थाना सरायछोला मध्यप्रदेश निवासी विष्णु गुर्जर (25) तथा भगवान सिंह गुर्जर (40) बताया। जांच में ट्रक में अवैध रूप से चंबल बजरी का परिवहन पाया गया। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

राजस्थान पत्रिका 29/12/2022

दो ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त, बजरी माफिया फरार

धौलपुर. चंबल बजरी का अवैध रूप से परिवहन रोकने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश से होकर धौलपुर की ओर बजरी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

मंगलवार देर रात सीओ सिटी सुरेश सांखला और थानाधिकारी अनिल जसौंरिया के नेतृत्व में नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बजरी माफियाओं के कब्जे से चंबल बजरी से भरे 2 ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया फरार हो गए।

29.12.2022

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौंरिया ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान 2 ट्रेक्टर-ट्रॉली एमपी की ओर से राजस्थान की ओर आ रहे थे। नाकाबंदी को देखकर एक ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर-ट्रॉली को सागरपाड़ा चौकी के पास खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं, नाकाबंदी को तोड़ कर भाग रहे दूसरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को वाटर वर्क्स चौराहे के पास से जब्त कर लिया गया है।

राजस्थान पत्रिका 15/01/2023

सात थानों समेत आरएसी और पुलिस लाइन के जाप्ते ने दी शहर व आसपास के इलाकों में दबिश

कार्रवाई अपारः समय @ सुबह के चार, अपराधियों पर पुलिस का वार

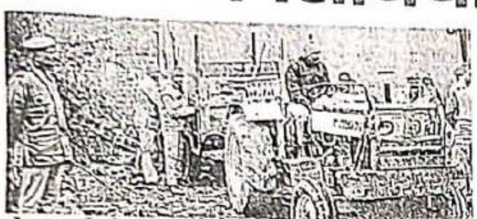

धौलपुर. बजरी परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त करती पुलिस।

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास बसी कॉलोनियों में दबिश देती पुलिस टीम।

पत्रिका स्पॉटलाइट

वांछित व संदिग्ध अपराधियों पर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बड़ी संख्या में बाइक व ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त, कई हिरासत में

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. वांछित व संदिग्ध अपराधियों, भगोड़ों, वारंटियों और सक्रिय बदमाशों के खिलाफ शहर व आसपास के इलाकों में जिला पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में जिले के सात थानों और आरएसी व पुलिस लाइन के जाप्ता मौजूद रहा। पुलिस की ओर से शनिवार को सुबह चार बजे से कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में करीब ढाई सौ पुलिसकर्मियों ने समीप के गांव मौराली, आसपास के मजरा, जाहिद होटल के पास, सौ फीट रोड और गुर्जर कॉलोनी में कार्रवाई की। सुबह सूरज उगने से पहले ही पुलिस अपराधियों की तलाश में गांवों और कॉलोनियों में घुस गई। पुलिस ने कई घरों से बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

यह किया जब्त

शनिवार सुबह की कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से करीब दो दर्जन बाइक, दो ट्रेक्टर-ट्रॉली बरामद की हैं। पुलिस ने बिना नंबरी वाहनों और रेता के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की।

कार्रवाई जारी

शनिवार को सुबह चार बजे से शुरू हुई कार्रवाई सुबह करीब दस बजे तक चली। इसके बाद शाम को एकबार फिर वाहनों की चैकिंग और नाकाबंदी शुरू की गई। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी।

यह थाने हुए शामिल

कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी सुरेश सांखला, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जासोरिया, निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह, सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय, मनियां थाना प्रभारी लाखन सिंह, कौलारी थाना प्रभारी बीरेन्द्र सिंह, सरमथुरा थाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा, बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीना, महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार, थानों, पुलिस लाइन व आरएसी का जाप्ता मौजूद रहा।

बजरी का स्टॉक भी पकड़ा

इस मौके पर पुलिस ने सौ फीट रोड और गुर्जर कॉलोनी में कई स्थानों पर बजरी का अवैध स्टॉक भी पकड़ा गया। इस दौरान लोगों के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर बैठे लोगों को भी भगाया गया।

धौलपुर. दबिश की कार्रवाई के लिए खड़ा पुलिस अमला।

मच गई भगदड़

पुलिस की कार्रवाई से लोगों में भगदड़ सी मच गई। कार्रवाई के दौरान कई लोग भागते नजर आए। वहीं, कई लोग बिना नंबर की बाइक पटक कर भाग गए। कुछ को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा भी। वहीं, कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है।

इनका कहना है

जिला पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

धर्मेन्द्र सिंह,
पुलिस अधीक्षक, धौलपुर

धौलपुर. कार्रवाई के दौरान संदिग्धों को हिरासत में लेते पुलिसकर्मी।

चार बस और करीब 30 चौपहिया वाहन में पुलिस

शनिवार की कार्रवाई के दौरान चार बस और करीब 30 चौपहिया वाहनों में पुलिस शामिल हुई। इसके साथ ही कई बाइक पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई में करीब 250 पुलिसकर्मी शामिल हुए।

राजस्थान पत्रिका 18/01/2022

चार बजरी माफिया गिरफ्तार, रेता ले जाते पांच ट्रेक्टर-ट्रॉली व एक ट्रक जब्त

जिलेभर में रेता के के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. कोतवाली थाना पुलिस की गिरफ्त में बजरी माफिया।

धौलपुर/ बाड़ी/ राजाखेड़ा/ सरमथुरा. जिले में मंगलवार को चम्बल रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

विभिन्न थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में पांच ट्रेक्टर-ट्रॉली व एक 22 चक्का ट्रक भी जब्त किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सागरपाड़ा से नाकाबंदी तोड़ कर भाग रहे एक 22 चक्का ट्रक को जब्त कर एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मंगलवार तड़के सागरपाड़ा पर नाकाबंदी के दौरान एक 22 चक्का ट्रक आता दिखा। जिसे रुकने का इशारा किया तो वह नाकाबंदी तोड़ कर शहर की ओर भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर उसे रोक लिया। तलाशी में ट्रक में प्रतिबंधित चंबल रेता मिला। इस पर पुलिस ने ट्रक चालक हरकंदकापुरा थाना दिहौली निवासी श्रीकृष्ण गुर्जर (27) को गिरफ्तार कर लिया।

बाड़ी सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता ले जाती एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि रेता से भरी एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान चालक फरार हो गया।

राजाखेड़ा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता का परिवहन करती एक ट्रेक्टर ट्रॉली को जब्त कर दो बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंगासहाय ने बताया कि सुबह गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बसईघीयाराम की ओर से एक ट्रेक्टर रेता लेकर राजाखेड़ा की ओर आ रहा है। इस पर पुलिस ने कस्बे के पास बसई घीयाराम रोड पर एक बिना नंबरी ट्रेक्टर को रेता का परिवहन करते जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने दो रेत माफिया गोरखे की मढैया मजरा सिंघपुरा निवासी राजकुमार निषाद (40) तथा सैया कटकोली आगरा निवासी तुलाराम निषाद (28) को गिरफ्तार किया है। वहीं, दिहोली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर रात कार्रवाई कर रेता से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। वहीं, बजरी माफिया फरार हो गया। थाना प्रभारी [illegible] ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर [illegible] रोड पर [illegible] एक ट्रेक्टर आता देखा। पुलिस को देख चालक [illegible] से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया।

सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर रेता का अवैध परिवहन करते एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। बजरी माफिया भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी [illegible] ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर [illegible] रोड पर [illegible] के पास एक बिना नंबरी ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया फरार हो गया।

एक ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त

सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि नेशनल हाइवे 44 पर सदर थाना चौराहा पर रेता से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर मिर्जापुर निवासी संतोष कुमार गुर्जर (42) को गिरफ्तार किया है।

चंबल रेता का अवैध परिवहन रोकने को कड़ी चौकसी

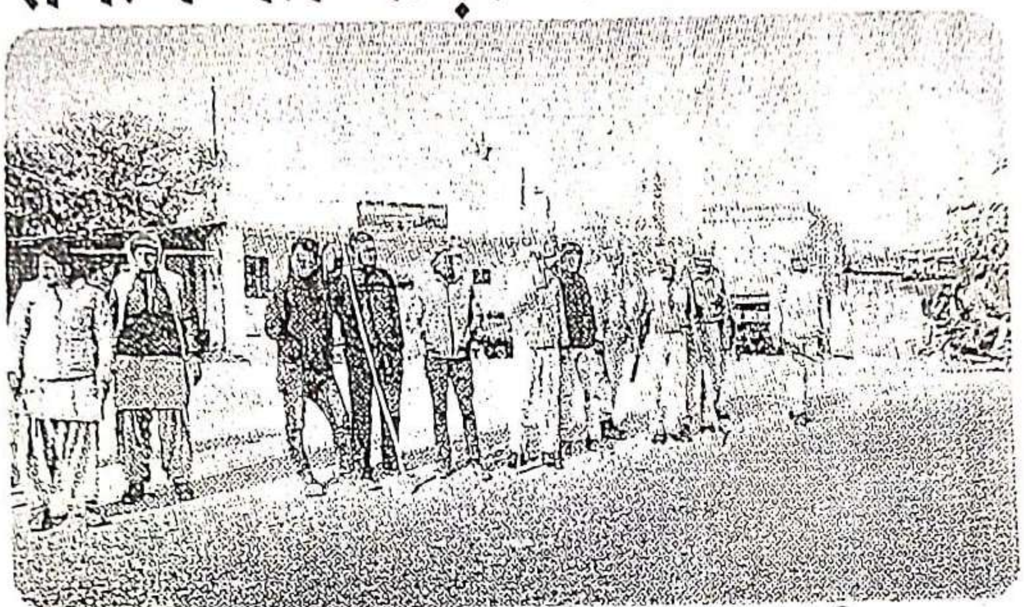

धौलपुर. नेशनल हाइवे 44 पर सागरपाड़ा चौकी पर तैनात पुलिस जाप्ता।

मध्यप्रदेश सीमा पर नाकाबंदी, लगाया अतिरिक्त जाप्ता

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए पुलिस ने कड़ी चौकसी शुरू कर दी है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाइवे 44 स्थित मध्यप्रदेश सीमा पर सागरपाड़ा चौकी के पास विशेष नाकाबंदी की जा रही है। यहां अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि बजरी माफिया मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में चंबल किनारे से लगातार बजरी की निकासी कर रहे हैं। बजरी निकालने के बाद माफिया पुलिस से नजर बचाकर नेशनल हाइवे 44 से आगरा-भरतपुर की ओर जाते हैं। जिसे रोकने के लिए अब सागरपाड़ा चौकी पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता लगाया गया है।

राजस्थान पत्रिका 22/01/2023

सागरपाड़ा पर अतिरिक्त जाप्ता, खाली से भी पूछताछ

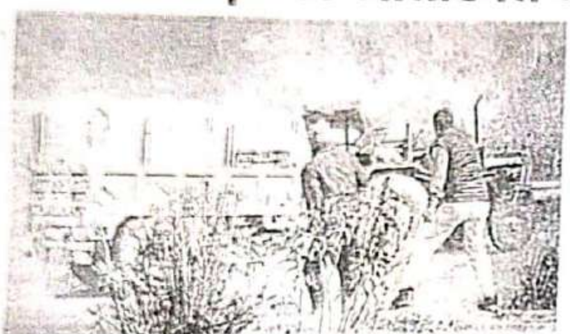

धौलपुर. एनएच 44 पर खाली जाते ट्रेक्टर-ट्रॉली को रोकते पुलिसकर्मी।

धौलपुर. सागरपाड़ा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी।

बजरी के अवैध परिवहन पर पुलिस कार्रवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. मध्यप्रदेश से शहर होकर होने वाले चंबल बजरी के अवैध परिवहन को लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश सीमा पर सागरपाड़ा चौकी में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है।

वहीं, खाली ट्रेक्टर-ट्रॉली को भी रोक कर पूछताछ की जा रही है। बता दें, मध्यप्रदेश सीमा में चंबल से बजरी का अवैध खनन कर उसका परिवहन आगरा और भरतपुर तक किया जा रहा है। ये ट्रेक्टर-ट्रॉली शहर होकर गुजरते हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रेता के अवैध परिवहन को लेकर सख्ती की है। इसके तहत हाइवे स्थित सागरपाड़ा चौकी पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है। जाप्ता रेता से भरे हुए ट्रेक्टर-ट्रॉली को राजस्थान सीमा में प्रवेश से रोक रहा है। वहीं, अगर कोई खाली ट्रेक्टर-ट्रॉली भी दिखती है तो उसे भी रोक कर पूछताछ के बाद ही छोड़ा जा रहा है।

राजस्थान पत्रिका 07/02/2023

पुलिस का रेता माफिया पर शिकंजा, 11 पकड़े

अवैध बजरी से भरी गई ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं गिरफ्तार आरोपी।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सरमथुरा. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में चल रहे धड़कन अभियान के तहत थाना पुलिस ने चंबल बजरी खनन व परिवहन करने वालों के खिलाफ सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 11 ट्रैक्टर ट्रॉलीयों को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने बजरी परिवहन में संलिप्त 11 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध चंबल बजरी खनन एवं परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि झिरी रोड की तरफ से बड़ी संख्या में अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही हैं। सूचना के आधार पर वन विभाग के कार्यवाहक रेंजर अमरलाल मीणा को साथ लेकर खैमरी गांव के पास सड़क पर ट्रैक्टरों को रुकवाने के लिए नाकाबंदी की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर बजरी परिवहन में संलिप्त 11 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजवीर मीना निवासी गुवरेडा, जनक सिंह मीणा निवासी नरायणा, हाकिम मीणा निवासी इमरतापुरा करौली, विजेंद्र मीणा निवासी मानपुरा, ओमप्रकाश मीणा निवासी मानपुरा , शिशुपाल मीणा निवासी कसारा, ओमसिंह मीणा निवासी नरायणा, जलसिंह मीणा निवासी देवीपुरा, खुशीराम मीणा निवासी नरायणा, कदम सिंह मीणा निवासी नरायणा, सरूपा गुर्जर निवासी खेड़ा थाना मासलपुर शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फारेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के मौके पर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, एएसआई जगदीश शर्मा, कांस्टेबल जसवंत सिंह, कांस्टेबल राधेश्याम, रेंजर अमरलाल मीणा, वनरक्षक शिव कुमार मीणा सहित पुलिस व वन विभाग का जाब्ता मौजूद रहा।

राजस्थान पत्रिका 11/02/2023

अवैध बजरी ले जाते दो ट्रेक्टर-ट्रॉली पकड़े

सागरपाड़ा चौकी पर पुलिस व वन विभाग ने की कार्रवाई

धौलपुर. ग्वालियर रोड स्थित सागरपाड़ा चौकी के पास पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त की है। जबकि आरोपी मौके से भाग निकले।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे अवैध चंबल बजरी स्टॉक व परिवहन के खिलाफ कोतवाली पुलिस व वन विभाग ने गुरुवार को अभियान चला संयुक्त कार्रवाई की। एसआई जगदीशचंद्र के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए सागरपाड़ा चौकी के पास नाकाबंदी कर एक ट्रेक्टर-ट्रॉली बिना नम्बरी अवैध बजरी से भरी को जब्त किया। इसी तरह सागर पाडा चौकी के पास ही अवैध बजरी से भरे एक और ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जबकि मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

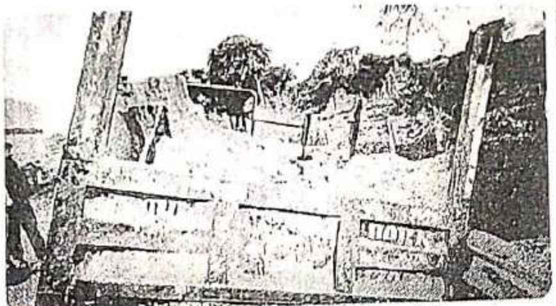

धौलपुर. कार्रवाई में पकड़ी अवैध बजरी भरी ट्रेक्टर-ट्रॉली।

राजस्थान पत्रिका 19/02/2023

बजरी माफियाओं की तलाश में मौरोली और मजरों में दबिश

धौलपुर @ पत्रिका. भरतपुर के रूपबास थाना प्रभारी भोजाराम पर हमला करने वाले बजरी माफियाओं की तलाश में जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर कोतवाली थाना, निहालगंज थाना और डीएसटी की टीम ने कई इलाकों में दबिश दी। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि भरतपुर से रूपबास में बजरी निकालने को लेकर माफियाओं ने पुलिस टीम से मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी थी। इनके तार धौलपुर से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में माफियाओं को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार शाम को मौरोली और उसके मजरों तथा गुर्जर कॉलोनी में दबिश की कार्रवाई की गई है। मौरोली व उसके मजरों में माफियाओं के आवागमन के रास्तों को अवरुद्ध कराया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Annexure-19

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001.
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फैक्स / Fax: (0294)-2410526

क्रमांकः निदे / प–2(ए–1)धौल / बजरी / 2012 / 1185 दिनांक / 5–12–2022

कार्यालय–आदेश

श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, निवासी पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड, करौली (राज.) के पक्ष में जिला धौलपुर की तहसील बसेडी व बाडी की सीमा में बहने वाली पार्वती नदी से निर्गमित खनिज बजरी क्षेत्र 232.92 हैक्टेयर का खनन पट्टा स्वीकृति हेतु मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11–01–2013 से जारी किया गया तथा पत्र दिनांक 19–12–2013 से अस्थाई कार्यानुमति जारी की गई है, जिसके क्रम में एल.ओ.आई. धारक द्वारा क्षेत्र में खनन कार्य दिनांक 30–12–2013 से प्रारम्भ किया गया हैं तथा दिनांक 14–02–2014 को खनन कार्य बन्द कर दिया गया। इस प्रकार एल.ओ.आई. धारक द्वारा दिनांक 30–12–2013 से 14–02–2014 अवधि, (01 माह 16 दिवस) के लिये खनिज बजरी का वास्तविक खनन किया है। अतिरिक्त निदेशक(खान), कोटा जोन, कोटा के आदेश कमांकः अनिखा/कोटा–जोन/सीसी–II/धौलपुर–बजरी/प–40(2017)/4564 दिनांक 08–09–17 द्वारा निदेशालय द्वारा जारी मंशा पत्र एवं अस्थाई कार्यानुमति को जमा प्रीमियम राशि जब्त करते हुए निरस्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष दायर याचिका संख्या 281/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07–05–2022 पारित किया गया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.11.2021 के अनुसरण में एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 नियम 5(4) में किये गये संशोधन के क्रम में नवीनतम निर्णय उपरोक्त परिपेक्ष्य में आदेश जारी होने की तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शासन के पत्र कमांकः प–11(1)(25) खान/ग्रुप–2/2018 दिनांक 03–06–2022 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–05–2022 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर नहीं करने का प्रशासनिक विनिश्चय लिया गया है। शासन के पत्र कमांकः प–10(23)खान/ग्रुप–2/2012 दिनांक 14–10–2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि "मंशा पत्र अस्वीकृति आदेशों को अपास्त करते हुए इन्हे बहाल किया जावें तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पैरा 231/एन के तृतीय विकल्प (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2021 में बिन्दु संख्या एफ में दिये गये निर्देशों अनुसार खनिज बजरी के वास्तविक खनन की अवधि से शेष अवधि तक) अनुसार कार्यवाही की जावें।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 10587/2019 में आदेश दिनांक 11–11–2021 से सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23–12–2020 से सिफारिश "जे" के अलावा सभी सिफारिशों को अनुमोदित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में शासन की अधिसूचना दिनांक 21–10–2022 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम–5(4)में संशोधन कर 68 माह के स्थान पर 73 माह (दिनांक 31–03–2023 तक) की गई है। उपरोक्तानुसार इस क्षेत्र हेतु जारी मंशा पत्र भी नियम 5(4) के अन्तर्गत आता है।

अतः शासन पत्र दिनांक 14–10–2022 से दिये गये निर्देशानुसार श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, निवासी पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड, करौली (राज.) के पक्ष में जारी मंशा पत्र को बहाल करते हुए उनके द्वारा किये गये

वास्तविक खनन की अवधि दिनांक 30-12-2013 से 14-02-2014 अवधि (01 माह 16 दिवस) को खनन पट्टे की कुल अवधि 05 वर्ष में से घटाते हुए शेष अवधि (04 वर्ष 10 माह एवं 14 दिवस) को आईडल-नॉन मानते हुए कब्जा संभलाने की दिनांक से (04 वर्ष 10 माह एवं 14 दिवस) के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में अंकित निबंधो एवं प्रतिबंधों तथा समय-समय पर हुये संशोधनों के अतिरिक्त निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

1	खनिज	बजरी
2	क्षेत्रफल	232.92 हैक्टेयर
3	अवधि	दिनांक 30-12-2013 से 29-12-2018 तक आईडल नॉन पिरीयड (04 वर्ष 10 माह एवं 14 दिवस) जोड़े जाने से खनन पट्टा अवधि इस आदेश के तहत कब्जा संभलाये जाने की दिनांक से (04 वर्ष 10 माह एवं 14 दिवस) तक
4	प्रिमियम राशि	15,00,000/- उक्त राशि का स्थिर भाटक एवं रॉयल्टी में समायोजन नहीं होगा।
5	स्थिर भाटक	6,98,760/-प्रतिवर्ष कार्यानुमति की तिथि से 14-02-2014 देय होगा । पुनः कब्जा सम्भलाये जाने की दिनांक से 04 वर्ष 10 माह एवं 14 दिवस तक राशि रूपये 13,97,520/-प्रतिवर्ष की दर से । (संविदा निष्पादन से पूर्व कार्यानुमति की शर्तो के अनुसार राशि जमा करायेगा)
6	प्रतिभूति राशि	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 19 तथा इसमें समय समय पर संशोधन के अनुसार ।
7	परफोरमेन्स प्रतिभूति	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 20 तथा इसमें समय समय पर संशोधन के अनुसार ।
8	वित्तीय आश्वासन	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 29(14) तथा इसमें समय समय पर संशोधन के अनुसार ।
9	सीमांकन शुल्क	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 91(2) के अनुसार राशि रूपये 50,000/-सीमांकन शुल्क जमा कराकर क्षेत्र का सीमांकन करायेगा ।
10	अधिशुल्क	रूपया 50/-प्रति टन एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 की द्वितीय अनुसूची में समय समय पर होने वाले संशोधन अनुसार ।
11	डीएमएफ ट्रस्ट फण्ड	रॉयल्टी राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर एवं डीएमएफटी रूल्स 2016 में समय समय पर होने वाले संशोधन अनुसार ।
12	आर.एस.एम.ई.टी.	रॉयल्टी राशि की 2 प्रतिशत राशि के बराबर एवं आर.एस.एम.ई.टी. रूल्स 2020 में समय समय पर होने वाले संशोधन अनुसार ।
13	भूतल भाटक	जैसा की राजस्व अधिकारी निर्धारित करें ।
14	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार ।

15	अन्य शर्तें	1 पट्टाधारी निविदा की शर्तें, खनन पट्टे की संविदा एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार पालना करने हेतु बाध्य होगा। 2 माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर एस.एल.पी. संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23–12–2020 के पेरा संख्या 11(iii) लीज डीड का पार्ट होगा तथा इस रिपोर्ट के पेरा संख्या 11(iii) में वर्णित प्रकिया तथा दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा। 3 मौके पर किसी भी प्रकार का राजस्व सीमा संबंधी विवाद होने की स्थिति में राजस्व व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जाकर आवश्यक निर्णय किया जावेगा जो अंतिम होगा। 4 खनन पट्टे की अवधि के दौरान आगामी अवधि के लिये नियमानुसार नवीन खनन पट्टा दिये जाने की प्रकिया प्रारम्भ करने पर पट्टाधारी की कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। 5 बजरी दोहन के संबंध में माननीय न्यायालयों एवं शासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों की पालना हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा। 6 पट्टाधारी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 03–02–2022 (पर्यावरण क्लीयरेन्स) में अंकित शर्तों/निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों की पालना करनी होगी। 7 पट्टा संविदा पंजीयन के उपरान्त संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तभी खनन कार्य की अनुमति जारी की जावेगी।

नोट:–

1. अनुदानी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 21(1) के तहत संविदा निष्पादन हेतु स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 3 माह की अवधि में अंतर प्रिमियम राशि, वार्षिक स्थिर भाटक, प्रतिभूति राशि, परफोरमेन्स प्रतिभूति राशि, वित्तीय आश्वासन की राशि व निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर संविदा निष्पादन करायेगा ।
2. अनुदानी को संविदा निष्पादन से पूर्व अस्थाई कार्यानुमति के तहत कार्यानुमति की शर्तो के अनुसार किये गये खनिज के निर्गमन का अधिशुल्क निर्धारण अनुसार समस्त बकाया जमा करानी होगी । बकाया न होने पर ही संविदा निष्पादन कराया जायेगा।

3. अनुदानी द्वारा अब तक प्रिमियम मद में जमा समस्त राशि यदि प्रिमियम राशि से कम है तो अंतर राशि जमा करानी होगी एवं अधिक राशि जमा होने पर रिफण्ड / समायोजित की जायेगी ।

4. अनुदानी द्वारा एल.ओ.आई. की अवधि बढ़ाने हेतु अब तक लेट फीस के रूप में राशि जमा कराई गई है । यह समस्त राशि रिफण्ड / समायोजित की जायेगी । क्योंकि खनन पट्टे की अवधि अस्थाई कार्यानुमति की तिथि से मानी है।

5. अनुदानी द्वारा संविदा प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से 2 माह की अवधि में संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं करने पर जमा प्रिमियम राशि, प्रतिभूति राशि व परफोरमेन्स प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 21(4) के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश को प्रतिसंहृत (रियोक) कर दिया जायेगा।

6. अनुदानी द्वारा संविदा निष्पादन हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 21(1) के तहत वांछित पूर्तियां कर 3 माह की अवधि में संविदा निष्पादन नहीं कराने पर बिना किसी पूर्व सूचना के जमा प्रिमियम राशि, प्रतिभूति राशि परफोरमेन्स प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये नियम 21(4) के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश को प्रतिसंहृत (रियोक) कर दिया जायेगा।

7. खनन पट्टा पंजीयन से पूर्व कार्यानुमति की शर्तों के अनुसार राशि जमा करायेगा (प्रिमियम राशि को छोड़कर) जो स्थिर भाटक में समायोजन किया जायेगा । यदि उक्तानुसार जमा राशि स्थिर भाटक से कम है तो उतनी अंतर राशि अलग से जमा कराई जायेगी । परन्तु स्थिर भाटक से अधिक जमा होती है तो उक्त अधिक राशि को अधिक अधिशुल्क में माना जायेगा।

भवदीय
15/12/2022
(संदेश नायक)आई.ए.एस.
निदेशक

क्रमांकः निदे/प-2(ए-1)धौल/बजरी/2012/2185-2193 दिनांक 15-12-2022

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2- संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
3- जिला कलक्टर, धौलपुर।
4- अतिरिक्त निदेशक(खान), कोटा।
5- अधीक्षण खनि अभियन्ता, ~~धौलपुर~~ भरतपुर
6- खनि अभियन्ता, धौलपुर को उनके पत्र क्रमांकः 1867 दिनांक 22-11-2022 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह में पूरक संविदा का निष्पादन करा मूल पूरक संविदा मय अतिरिक्त प्रति के निदेशालय को भिजावें।
रजि0एडी7- श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, निवासी पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड, करौली(राज.)
8- श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, निवासी पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड, करौली (राज.)द्वारा- खनि अभियन्ता, धौलपुर।
9- रक्षित पत्रावली।

(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0-III)

RAJASTHAN

<u>संविदा एम.एल.नं. 98/2012 क्षेत्र तहसील बाडी–बसेडी</u>

H 656995

यह नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर कमांक H 656995 से H 656999 तक कुल 5 नग तादादी रूपया 5000/– (1000+1000+1000+1000+1000) अक्षरे पाँच हजार रूपये मात्र वास्ते खनन पट्टा जिला धौलपुर की तहसील बाडी–बसेडी के राजस्व ग्रामों में गैर मुमकिन नदी/नालों के खसरा क्षेत्रों से निकलने वाली खनिज बजरी क्षेत्रफल 232.92 हैक्टेयर (खनन पट्टा क्षेत्र के विवरण हेतु राजस्व ग्रामों के खसरा नम्बर एवं उनके रकबा का विवरण संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार है, प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोडकर) के संविदा निष्पादन हेतु श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारीलाल गुप्ता पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड करौली द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।

उक्त खनिज बजरी का खनन पट्टा निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर के आदेश कमांक निदे/प–2(ए–1)धौल/बजरी/2012/2184 दिनांक 15.12.2022 से अवधि दिनांक 30.12.2013 से 14.02.2014 तक वार्षिक स्थिरभाटक रूपया 698760/– एवं पुनः कब्जा सँभलाये जाने की दिनांक से 04 वर्ष 10 माह 14 दिवस के लिये वार्षिक स्थिरभाटक रूपया 1397520/– (अक्षरे तेरह लाख सत्तानवें हजार पॉच सौ बीस रूपये) पर स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनो/उल्लेखित निबंधों/प्रतिबंधों एवं स्वीकृति आदेश में अंकित शर्तो की पालना करेगा।

अन्य शर्ते :–

(1) पट्टाधारी निविदा की शर्ते, खनन पट्टा संविदा प्रपत्र संख्या 06 में वर्णित शर्तो एवं पट्टाधारी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों अनुसार पालना करने हेतु बाध्य होगा।

(2) माननीय उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली के समक्ष दायर एसएलपी संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा सं. 11(iii) लीज डीड का पार्ट होगा तथा इस रिपोर्ट के पैरा सं. 11(iii) में वर्णित प्रकिया तथा दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा।

(3) मौके पर किसी भी प्रकार का राजस्व सीमा संबंधी विवाद होने की स्थिति में राजस्व व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जाकर आवश्यक निर्णय किया जावेगा जो अन्तिम होगा।

(4) खनन करने की अवधि के दौरान आगामी अवधि के लिये नियमानुसार नवीन खनन पट्टा दिये जाने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने पर पट्टाधारी की कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

उप पंजीयक
बसेडी (धौलपुर) राज०

खनि अभियन्ता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
धौलपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 658996

के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों एवं शासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों की पालना हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा।

(6) पट्टाधारी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.02.2022 (पर्यावरण क्लीयरेन्स) में अंकित शर्तो/निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों की पालना करनी होगी।

(7) पट्टा संविदा पंजीयन के उपरान्त संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेट टू ऑपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तभी खनन कार्य की अनुमति जारी की जावेगी।

नोट:–

(1) अनुदानी द्वारा संविदा प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से 2 माह की अवधि में संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं करने पर जमा प्रीमियम राशि, प्रतिभूति राशि व परफोरमेंस प्रतिभूति राशि जब्त करते हुयें अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 21(4) के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश को प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।

(2) खननी पट्टा पंजीयन से पूर्व कार्यानुमति की शर्तो के अनुसार राशि जमा करायेगा(प्रीमियम राशि को छोडकर) जो स्थिरभाटक में समायोजन किया जायेगा। यदि उक्तानुसार जमा राशि स्थिरभाटक से कम है तो उतनी अंतर राशि अलग से जमा कराई जायेगी परन्तु स्थिरभाटक से अधिक जमा होती है तो उक्त अधिक राशि को अधिक अधिशुल्क में माना जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार खनन पट्टा की इस संविदा को आज दिनांक 20-1-2023 को राज्य सरकार एवं पार्टी के मध्य गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया :–

(नवल किशोर गुप्ता)
खनन पट्टाधारी

(मुकेश चन्द्र मंगल)
खनि अभियन्ता, धौलपुर
(राजस्थान के राज्यपाल की ओर से)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
धौलपुर

गवाह

1. ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानेंद्र सिंह
निवासी– ग्राम व पोस्ट तिलसडा तहसील घाटमपुर जिला कानपुर नगर (यूपी)

2. सतीश सिंह जादौन पुत्र श्री प्रेम सिंह जादौन
निवासी–चुंगी नाका, मैग्जीन, करौली
तहसील व जिला करौली

3 – विनोद सिंह S/o चन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र
नि० विवेक विहार, करौली जिला करौली

उप पंजीयक
बसेडी (धौलपुर) राज०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

H 656997

ML No. 98/2012 की संविदा के साथ संलग्न रहे।

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर

उप पंजीयक
बसेड़ी (धौलपुर) राज0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

H 656998

ML No. 98/2012 की संविदा के साथ संलग्न रहे।

उप पंजीयक
बसेड़ी (धौलपुर) राज0

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर

उप पंजीयक
बसेड़ी (धौलपुर) राज0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN H 656999

ML No. 98/2012 की संविदा के साथ संलग्न रहे।

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर

उप पंजीयक
बसेड़ी (धौलपुर) राज0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

E 242622

17 JAN 2023

संविदा एम.एल.नं. 99/2012 क्षेत्र तहसील सैंपऊ–धौलपुर

यह नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर कमांक E 242642 कुल 1 नग तादादी रूपया 5000/– अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र वास्ते खनन पट्टा जिला धौलपुर की तहसील सैंपऊ–धौलपुर के राजस्व ग्रामों में गैर मुमकिन नदी/नालो के खसरा क्षेत्रों से निकलने वाली खनिज बजरी क्षेत्रफल 391.75 हैक्टेयर (खनन पट्टा क्षेत्र के विवरण हेतु राजस्व ग्रामों के खसरा नम्बर एवं उनके रकवां का विवरण संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार है, प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोडकर) के संविदा निष्पादन हेतु श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री मुरारीलाल गुप्ता पुरानी ट्रक यूनियन के पास, मण्डरायल रोड करौली द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।

उक्त खनिज बजरी का खनन पट्टा शासन के आदेश कमांक प.6(10)खान/ग्रुप–2/2013 दिनांक 11.01.2023 से अवधि दिनांक 24.12.2013 से 14.02.2014 तक वार्षिक स्थिरभाटक रूपया 1175250/– एवं पुनः कब्जा सॅभलाये जाने की दिनांक से 04 वर्ष 10 माह 08 दिवस के लिये वार्षिक स्थिरभाटक रूपया 2350500/– (अक्षरे तेईस लाख पचास हजार पॉच सौ रूपये) पर स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनो/उल्लेखित निबंधों/प्रतिबंधों एंव स्वीकृति आदेश में अंकित शर्तो की पालना करेगा।

अन्य शर्तें:–

(1) पट्टाधारी निविदा की शर्तें, खनन पट्टा संविदा प्रपत्र संख्या 06 में वर्णित शर्तो एवं पट्टाधारी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों अनुसार पालना करने हेतु बाध्य होगा।

(2) माननीय उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली के समक्ष दायर एसएलपी संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा सं. 11(iii) लीज डीड का पार्ट होगा तथा इस रिपोर्ट के पैरा सं. 11(iii) में वर्णित प्रकिया तथा दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा।

(3) मौके पर किसी भी प्रकार का राजस्व सीमा संबंधी विवाद होने की स्थिति में राजस्व व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जाकर आवश्यक निर्णय किया जावेगा जो अन्तिम होगा।

(4) खनन करने की अवधि के दौरान आगामी अवधि के लिये नियमानुसार नवीन खनन पट्टा दिये जाने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने पर पटटाधारी की कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

उपपंजीयक
सैंपऊ

खनि अभियन्ता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
धौलपुर

(5) बजरी दोहन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों एवं शॉसन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों की पालना हेतु पट्टाधारी बाध्य होगा।

(6) पट्टाधारी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.02.2022 (पर्यावरण क्लीयरेन्स) में अंकित शर्तो/निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों की पालना करनी होगी।

(7) पट्टा संविदा पंजीयन के उपरान्त संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेट टू ऑपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तभी खनन कार्य की अनुमति जारी की जावेगी।

नोटः-

(1) अनुदानी द्वारा संविदा प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से 2 माह की अवधि में संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं करने पर जमा प्रीमियम राशि, प्रतिभूति राशि व परफोरमेंस प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 21(4) के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश को प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।

(2) खनन पट्टा पंजीयन से पूर्व कार्यानुमति की शर्तो के अनुसार राशि जमा करायेगा(प्रीमियम राशि को छोड़कर) जो स्थिरभाटक में समायोजन किया जायेगा। यदि उक्तानुसार जमा राशि स्थिरभाटक से कम है तो उतनी अंतर राशि अलग से जमा कराई जायेगी परन्तु स्थिरभाटक से अधिक जमा होती है तो उक्त अधिक राशि को अधिक अधिशुल्क में माना जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार खनन पट्टा की इस संविदा को आज दिनांक 20-1-2023 को राज्य सरकार एवं पार्टी के मध्य गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया :-

नवल किशोर गुप्ता

(नवल किशोर गुप्ता)
खनन पट्टाधारी

(मुकेश चन्द्र मंगल)
खनि अभियन्ता, धौलपुर
(राजस्थान के राज्यपाल की ओर से)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
धौलपुर

गवाह

ब्रजेन्द्र सिंह

1. ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानेंद्र सिंह
निवासी- ग्राम व पोस्ट तिलसडा तहसील घाटमपुर
जिला कानपुर नगर (यूपी)

सतीश सिंह

2. सतीश सिंह जादौन पुत्र श्री प्रेम सिंह जादौन
निवासी-चुंगी नाका, मैग्जीन, करौली
तहसील व जिला करौली

विनोद सिंह पुत्र श्री कंचनसिंह
जाति - राजपूत निवासी - विवेक विहार
करौली जिला - करौली

Annexure-20

<u>कार्यालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)</u>

क्रमांकः प.40 / 10(1) / एनजीटी–248 / राजस्व / 2023 / 880 दिनांकः 21.03.2023

1. जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
2. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
3. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर
4. उपखण्डाधिकारी, धौलपुर / बाडी / राजाखेडा / सरमथुरा / सैपउ / बसेडी
5. खनिज अभियंता, धौलपुर
6. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली के प्रकरण संख्या ओए 248 / 2022 में आदेश दिनांक 21.09.2022 व दिनांक 06.02.2023 की पालना के संबंध में।

उपरोक्त उपरोक्त विषयान्तर्गत अवैध चम्बल रेता (बजरी) के खनन व परिवहन में यदि कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तथा उसके नाम से आर्म्स लाईसेंस है तो उसके आर्म्स लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु ऐसे व्यक्ति की सूचना मय अभिशंषा के इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि ऐसे व्यक्तियों के आर्म्स लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके ।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

क्रमांकः प.40 / 10(1) / एनजीटी–248 / राजस्व / 2023 / 881-83 दिनांकः 21.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वन विभाग शासन सचिवालय जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट धौलपुर

जिला कलक्टर

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.03.21 [illegible]:30:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No : 3446973